रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102022-239286
CG-DL-E-01102022-239286

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
No. 232] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ASVINA 7, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

अंतिम जांच परिणाम

केस सं. (एडी-ओआई-14/2021)

विषय: चीन जन.गण. से "ग्लाइसिन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/14/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" या "एडी नियमावली" अथवा "एडीडी नियमावली" भी कहा गया है) के संबंध में।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और आविद आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें यहां "घरेलू उद्योग" या "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने यह दावा करते हे कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा रहे हैं, चीन जन.गण. (जिसे यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित ग्लाइसिन (जिसे यहां "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है)

के आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने की मांग करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग के कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसरण में संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/14/2021-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर, 2021 के अनुसार एक पब्लिक नोटिस जारी किया।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित की गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:

i. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से आयातों के संबंध में जांच की शुरुआत करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30.09.2021 को एक अधिसूचना जारी की।

ii. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित की और उनसे ए डी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसरण में जांच शुरुआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से ज्ञात कराने का अनुरोध किया।

iii. प्राधिकारी ने ऊपर दिए गए नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, को भारत में उनके दूतावास के जरिए आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रेषित की। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, जहां भी अनुरोध किया गया था, ई मेल के जरिए उपलब्ध कराई गई।

iv. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में, प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए चीन जन.गण में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को, जिनके विवरण आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, निर्यातकों की प्रश्नावली भेजी गई:

क. हेबेई डांगहुआ केमिकल ग्रुप

ख. यीचांग जिनशिन केमिकल कं. लिमि.

ग. सीचुआन लेशान फउहा टांगडा एग्रो- केमिकल टेक्नालॉजी कं. लिमि.

घ. हेबेई हुआहेंग बायोलॉजीकल टेक्नालॉजी कं. लिमि.

ड. हनान एचडीएफ केमिकल कं. लिमि.

च. हेबेई चनचेंग बायोलॉजीकल टेक्नालॉजी कं. लिमि.

छ. शानडांग झेनशिंग केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमि.

ज. शीजियाझुआंग जेशिंग अमीनो एसिड कंपनी लिमि.

झ. हेबेई हुआयांग बायोलॉजीकल टेक्नालॉजी कं. लिमि.

ञ. शिनले हुआदा केमिकल कं. लिमि.

ट. झाओकांउटी ग्रेनरे बायोप्रोडक्ट्स कं. लिमि.

ठ. जियांगशी अनसुन फूड इंग्रीडिएंट्स कं. लिमि.

ड. शिजियाझुआंग शिजिंग अमीनो एसिड कं. लिमि.

ढ. नानटांग गुआनग्रोंग केमिकल कं. लिमि.

ण. सुझोऊ योटेक फाइन केमिकल कं. लिमि.

त. हुबेई बाफेंग फर्मास्युटिकल्स एंड केमिकल कं. लिमि.

v. चीन जन.गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

क. हुबेई हुआंगहेग बायोलॉजीकल टेक्नालॉजी कं. लिमि.

ख. गुआनगन चेंगशिन केमिकल कं. लिमि.

vi. प्राधिकारी ने भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रति प्रेषित की, जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे और उन्हें नियम 6(4) के अनुसरण में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी गई:

क. अभियान मीडिया प्रा. लिमि.

ख. रेनबेक्सी लेबोरेटीरीज

ग. नेस्टर फर्मास्युटिकल्स (इंडिया) प्रा. लिमि.

घ. गुलब्रांडसन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्रा. लिमि.

ड. वाराही प्रमा प्राइवेट लिमि.

च. इनवीट्रोजेन बायो सर्विसेस इंडिया प्रा. लिमि.

vii. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने जांच की अवधि के दौरान अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

क. ऊनो वेटकेम

viii. विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस जांच के संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या प्राधिकारी को उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माने जाने का प्रस्ताव किया गया है।

ix. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी जरूरी था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार करने का निर्णय किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है, जहां भी संभव था। गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

x. प्राधिकारी ने जांच में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराए। सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध के अगोपनीय पाठ को सभी पक्षकारों को ई मेल करने के अनुरोध सहित हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई क्योंकि जारी कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी।

xi. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2020- मार्च, 2021 (12 महीने) है। क्षति जांच अवधि में 2017-18, 2018-19, 2019-20 और पीओआई शामिल होंगे।

xii. अनिवार्य समझी गई सीमा तक आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त/पूरक सूचना की मांग की गई। जांच के प्रयोजनार्थ अनिवार्य समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच की गई।

xiii. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) उत्पादन की लागत और एडी नियमावली के अनुबंध III और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत पर आधारित है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xiv. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महा निदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) और डीजी सिस्टम से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के सौदावार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। आयातों की मात्रा और मूल्य की संगणना के लिए इन पर भरोसा किया गया है।

xv. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने दिनांक 29.04.2022 को आयोजित मौखिक सुनवाई में, जिसमें बहुत-से पक्षकारों ने भाग लिया था, सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वीडियो- कांफ्रेंसिंग के जरिए मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। उन सभी पक्षकारों से, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे मौखिक सुनवाई के दौरान व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध को दायर करने का अनुरोध किया गया ताकि उसके बाद विरोधी हितबद्ध पक्षकार प्रत्युत्तर दायर करने में सक्षम हो सके।

xvi. इस जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का, जहां भी संगत पाया गया, इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है।

xvii. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान अनिवार्य सूचना जूटाने से इंकार किया है या अन्यथा रूप से अनिवार्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों को दर्ज किया है।

xviii. नियमावली के नियम 16 के अनुसरण में, दिनांक 9 सितंबर, 2022 के प्रकटीकरण विवरण के अनुसार ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को जांच के अनिवार्य तथ्यों को प्रकट किया गया और प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई, उन पर प्राप्त टिप्पणियों का इन अंतिम जांच परिणामों में उल्लेख किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटीकरण पश्चात अनुरोध उनके द्वारा पहले किए गए अनुरोधों की पुनरावृति मात्र है। तथापि, संगत समझी गई सीमा तक प्रकटीकरण-पश्चात निवेदनों की इन अंतिम जाचं परिणामों में जांच की जा रही है।

xix. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार समझी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।

xx. संबद्ध जांच के लिए पीओआई के दौरान प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डालर= 75.22 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "ग्लाइसिन" है। ग्लाइसिन का अंतर्राष्ट्रीय संघ का शुद्ध और एलाइड रसायन ("आईयूपीएसी") नाम 2-एमीनोएसेटिक एसिड है। इसे एमिनो एसिटिक एसिड, 2- एमिनोएथेनोइक एसिड (आईयूपीएसी व्यवस्थित) और अइकोकोल के रूप में भी जाना जाता है। इस जांच के क्षेत्र में किसी भी नाम से ज्ञात "ग्लाइसिन" शामिल है। चूंकि, ग्लाइसिन को शुद्धता या ग्रेडों के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित किया जाता है, इसके शुद्धता या ग्रेड के स्तर के आधार पर बहुत से व्यापारिक नाम है जैसे अपरिष्कृत, औद्योगिक, टेक्नीकल ग्रेड, फीड ग्रेड, फूड ग्रेड, यूएस फर्माकोपिया अथवा यूएसपी ग्रेड, आईपी ग्रेड, फूड ग्रेड और फर्मास्युटिकल ग्रेड। इस जांच के दायरे में सभी ग्रेडों के ग्लाइसिन शामिल हैं।

ग्लाइसिन एक आम तौर पर एक श्वेत सामग्री है जो गंधहीन और स्वाद में मीठा पदार्थ है। इसके सूखे रूप में, जोकि ऐसा फार्म है जिसमें इसकी आमतौर पर बिक्री की जाती है, यह एक मुक्त बहने वाला क्रिस्टलीय पदार्थ है, जैसे नमक या चीनी। सभी प्रकार के ग्लाइसिन में एक ही बुनियादी रासायनिक संरचना होती है।

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत आता है। ग्लाइसिन एचएस कोड 29224910 के अंतर्गत आता है। तथापि, विभिन्न अन्य एचएस कोड अर्थात 29224990, आदि के अंतर्गत भी पीयूसी का आयात किया जाता है"।

5. जांच की अवधि के दौरान, उचित तुलना के लिए कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन पैरामीटरों के संबंध में अपनी टिप्पणियों भी प्रस्तुत की थीं।

6. सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 24.04.2022 की संबद्ध जांच में अंतिम पीसीएन कार्य पद्धति जारी की, जैसाकि निम्नलिखित सारणी में नोट किया है:

क्र. सं.	पीसीएन पैरामीटर	पीसीएन विवरण	पीसीएन कोड
1.	ग्रेड	फूड ग्रेड	एफ
2.	ग्रेड	औद्योगिक ग्रेड/ तकनीकी ग्रेड	टी
3.	ग्रेड	फर्मास्युटिकल ग्रेड	पी

7. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 02.05.2022 तक पीसीएन वार सूचना दायर करने का निर्देश दिया था।

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. संबद्ध जांच में पीसीएन पद्धति क्रिया विधि निर्धारित करने का निर्णय उचित है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पीसीएन के तीन ग्रेडों अर्थात फूड ग्रेड, औद्योगिक/तकनीकी और फर्मास्युटिकल ग्रेड के बीच महत्वपूर्ण कीमत और लागत अंतर है।

ii. चीनी उत्पादक मुख्य रूप से औद्योगिक/तकनीकी ग्रेड ग्लाइसिन के उत्पादन और निर्यात में संलग्न हैं। संबद्ध जांच में घरेलू उद्योग मुख्य रूप से फूड ग्रेड और फर्मास्युटिकल ग्रेड ग्लाइसिन का उत्पादन और आपूर्ति करता है।

iii. ग्लाइसिन का संबद्ध देश में चार ग्रेडों में विनिर्माण और बिक्री की जाती है अर्थात टेक-ग्रेड (≤98.5%), फूड ग्रेड (98.5%- 101.5%), फीड ग्रेड (98.5%-101.5%) और फर्मास्युटिकल-ग्रेड (99.5%-101.5%)। (≤98.5%) के साथ टेक-ग्रेड का फूड ग्रेड, फीड ग्रेड और फार्मा ग्रेड के लिए एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता।

iv. औद्योगिक/तकनीकी ग्रेड का ग्लाइसिन निम्न शुद्धता वाला होता है और इसे फूड ग्रेड और फर्मास्युटिकल ग्रेड ग्लाइसिन जैसे उच्च शुद्धता ग्रेड वाले ग्लाइसिन से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। उच्च शुद्धता और लाइसेंसिंग जरूरतों के कारण विचाराधीन उत्पाद के फार्मा ग्रेड की लागत उच्च है। औद्योगिक/तकनीकी ग्रेड को फर्मास्युटिकल ग्रेड या फूड ग्रेड ग्लाइसिन से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

v. घरेलू उद्योग का दावा कि ग्लाइसिन के विभिन्न ग्रेडों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, गलत है। घरेलू उद्योग यह दावा नहीं करता कि मेटल पॉलिशिंग के लिए प्रयुक्त तकनीकी ग्रेड ग्लाइसिन का फार्मा ग्रेड ग्लाइसिन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हम प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध करते हैं कि क्या समान ग्राहक को बेचे गए विभिन्न ग्रेडों के बीजक के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उदाहरणों में ऐसा कोई उदाहरण शामिल है जिसमें तकनीकी ग्रेड ग्लाइसिन का क्रय किया गया था और इसाक फूड ग्रेड या फार्मा ग्रेड के रूप में प्रयोग किया गया।

vi. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि नॉन-बाइंडिंग कोडेक्स स्टैंडर्ड उसी शुद्धता मानक को दर्शाते हैं जो यूएसपी, आईपी और फूड/फीड ग्रेड के लिए लागू किए जा रहे हैं। यदि घरेलू उद्योग के दावे को कोई और जांच किए बिना पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि तकनीकी/औद्योगिक ग्रेड और फार्मा ग्रेड अथवा फूड ग्रेड ग्लाइसिन के लिए समान मानक लागू नहीं होते।

vii. जैसाकि आवेदकों द्वारा स्वीकार किया गया है, फूड ग्रेड और फार्मा ग्लाइसिन को कम से कम 98.5% शुद्धता की आवश्यकता होती है। तकनीकी ग्रेड 98.5% से कम की शुद्धता ले सकता है और उस मामले में, इसे फूड ग्रेड, फीड ग्रेड और फार्मा ग्रेड के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता।

viii. निम्न शुद्धता वाले ग्रेड उदा. औद्योगिक/तकनीकी ग्रेड को उच्च शुद्धता वाले ग्रेड उदा. फार्मा ग्रेड के लिए विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आवेदक शुद्धीकरण प्रक्रिया और उच्च लागत वाली फूड ग्रेड, फर्मास्युटिकल ग्रेड की तुलना भारत में आयात किए जाने वाले निम्न शुद्धता वाले

औद्योगिक/तकनीकी ग्रेड के साथ कर रहे हैं। यह उच्च पाटन मार्जिन और क्षति को दर्शाएगा जिसके कारण उच्च पाटनरोधी शुल्क लागू किया जाता है।

ix. हेबेई हुआहेंग के निर्यातों में मुख्य रूप से औद्योगिक/तकनीकी ग्रेड ग्लाइसिन शामिल हैं। यह घरेलू उद्योग के विपरीत है जो मुख्यरूप से फूड और फर्मास्युटिकल ग्रेड ग्लाइसिन का उत्पादन करता है। इसलिए, प्राधिकारी को संबद्ध पाटनरोधी जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए एक पीसीएन-वार तुलना अपनानी चाहिए।

x. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में कोई पीसीएन आधारित सूचना और साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराएं है।

xi. आवेदकों को यह दर्शाने के लिए विस्तृत स्वतंत्र एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला रिपोर्टों सहित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कराने चाहिए कि उनके द्वारा विनिर्मित ग्लाइसिन की विभिन्न ग्रेडों की गुणवत्ता के साथ तुलना की जा सकती है। जो इस समय चीन जन.गण. से आयात किये जा रहे हैं। आवेदकों को दर्शाना चाहिए कि उनके उत्पाद के विनिर्देश चीनी मूल के उत्पादों, के साथ मेल खाते हैं किंतु जाल के आकार, परख, भारी वस्तु, क्लोरीन सामग्री, सल्फेट सामग्री और सुखाने पर हानि तक ही सीमित नहीं है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. प्राधिकारी ने संबद्ध जांच की शुरुआत के स्तर पर सही नोट किया था कि इस जांच के दायरे में किसी भी नाम से ज्ञात "ग्लाइसिन" शामिल है। ग्लाइसिन को शुद्धता अथवा ग्रेडों के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित किया जाता है और इसके, इसकी शुद्धता या ग्रेड के स्तर के आधार पर बहुत से व्यापारिक नाम हैं जैसे- अपरिष्कृत, औद्योगिक, तकनीकी ग्रेड, फीड ग्रेड, फूड ग्रेड यूएस फार्माकोपिया- अथवा यूएसपी ग्रेड, आईपी ग्रेड, फूड ग्रेड और फर्मास्यूटिकल ग्रेड। इस जांच के दायरे में सभी ग्रेडों की ग्लाइसिन शामिल है।

ii. सभी ग्लाइसिन ग्रेडों का समान बुनियादी रासायनिक ढांचा है। ग्लाइसिन उत्पादक और ग्राहक, दोनों ही ग्लाइसिन को ऐसा नहीं समझते कुछ विशिष्ट शुद्धता मानकों को पूरा करते हों जिसे अलग पहचाना जा सकता है।

iii. बहुत से उपभोक्ता विभिन्न स्रोतों से समान शुद्धता स्तरों के ग्लाइसिन का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। घरेलू उद्योग ने एक ही अंतिम ग्राहक को बेचे गए विभिन्न ग्रेड के इनवॉयस प्रस्तुत किए हैं। यह स्थापित करता है कि संबद्ध वस्तुओं के अंतिम प्रयोक्ता ग्लाइसिन के विभिन्न ग्रेडों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संबद्ध वस्तुओं के सभी ग्रेड तकनीकी और व्यापारिक, दोनों प्रकार से प्रतिस्थापनीय हैं।

iv. संबद्ध वस्तुओं के कथित ग्रेडों के श्रेणियों में सीमांकन करने के कोई मान्यता प्राप्त मानक या विनिर्देश नहीं हैं जैसे फार्मा, फीड, फूड या तकनीकी/औद्योगिक ग्रेड। घरेलू उद्योग ग्लाइसिन का उत्पादन करने के लिए समान उत्पादन सुविधाओं और प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है जिनकी शुद्धता भिन्न-भिन्न हैं। संबद्ध वस्तुओं में शुद्धताओं के विशेष स्तर को कुछ अतिरिक्त शुद्धताकरण कदमों की जरूरत हो सकती है जो अन्य शुद्धता स्तरों के ग्लाइसिन पर प्रयोज्य नहीं हैं।

v. घरेलू उद्योग ने फूड/फीड ग्लाइसिन के लिए ग्लाइसिन यूएसपी, ग्लाइसिन आईपी और कोडैक्स मानकों के लिए प्रबंध प्रस्तुत किए हैं। ग्लाइसिन के लिए सभी गैर-बाध्यकारी मानक समान शुद्धता मानक निर्धारित करते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि उत्पादन इकाईयां नामित एजेंसी से प्रमाणीकरण प्राप्त करती हैं, तो यह स्वयं को समान शुद्धता मानकों के साथ 'आईपी' अथवा 'यूएसपी' अथवा 'फूड/फीड' ग्रेड के रूप में व्यक्त कर सकती है।

vi. "तकनीकी ग्रेड" ग्लाइसिन के लिए कानून के तहत या किसी औद्योगिक निकाय द्वारा शुद्धता के लिए कोई अनिवार्य मानक, प्रमाणीकरण नहीं है।

vii. ग्लाइसिन के 'तकनीकी ग्रेड' और अन्य ग्रेडों के बीच लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अधिक अशुद्धताओं वाले ग्लाइसिन अंतिम प्रयोक्ता की जरूरतों के आधार पर अन्य

ग्रेडों और विविधताओं के साथ प्रतिस्थापनीय हैं। अंतिम प्रयोक्ता शुद्धता स्तरों के बीच कोई भेदभाव या असमानता नहीं करता। अंतिम प्रयोक्ता ग्लाइसिन के सभी प्रकारों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करता है।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं भारत को चीन जन.गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीयूसी तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के तुलनीय वस्तुएं हैं। ये दोनों तकनीकी और व्यापारिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और संबद्ध पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एडी नियमों के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए।

ix. पीसीएन श्रेणीकरण, जैसाकि प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच में अपनाया गया है, की कोई प्रासंगिकता या आर्थिक महत्व नहीं है। इस संदर्भ में यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए ग्रेड तकनीकी और व्यापारिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं।

x. दोनों प्रतिभागी निर्यातकों, हेबी हुआहंग बायोलॉजीकल टेक्नालॉजी कंपनी लिमि. और गुआनगन चेंगशिन केमिकल कंपनी ने संबद्ध जांच की शुरुआत के पश्चात पीसीएन श्रेणीकरण के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। हुबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नालॉजी कंपनी लिमि. ने अपने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में कोई पीसीएन वार सूचना या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। हुबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नालॉजी कंपनी लिमि. ने अपने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में कहा कै कि ग्रेडों के बीच "महत्वपूर्ण कीमत और लागत अंतर" मौजूद है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित और विक्रय किया जाता है जैसे- क्रूड ग्रेड, औद्योगिक ग्रेड, तकनीकी ग्रेड, फीड-ग्रेड, फूड ग्रेड, यूएस फार्माकोपिया या यूएसपी ग्रेड, आईपी ग्रेड, फूड ग्रेड, फर्मास्युटिकल ग्रेड आदि।

11. जांच के दौरान, प्राधिकारी ने ग्रेडों के तीन मुख्य श्रेणीकरण अर्थात औद्योगिक/तकनीकी ग्रेड, फूड ग्रेड और फार्मा ग्रेड के आधार पर संबद्ध जांच में पीसीएन कार्य पद्धति को निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने पीसीएन कार्य पद्धति को निर्धारित करने के लिए अंतिम प्रयोग, उत्पादन की लागत, उत्पादन प्रक्रिया और विभिन्न ग्रेडों की बिक्री कीमत में अंतर को ध्यान में रखा है।

12. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पीसीएन कार्य पद्धति को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ग्लाइसिन के विभिन्न ग्रेड उनकी कीमत और लागत के संदर्भ में तुलनीय है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि ग्लाइसिन के विभिन्न ग्रेडों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस बात का विरोध नहीं किया है कि तकनीकी ग्रेड ग्लाइसिन कम शुद्धता का हो सकता है (≤98.5%) और यह कि ऐसे तकनीकी ग्रेड ग्लाइसिन का फूड ग्रेड ग्लाइसिन या फर्मास्युटिकल ग्रेड ग्लाइसिन के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि फूड ग्रेड और फर्मास्युटिकल ग्रेड को उच्च शुद्धता अनिवार्यता को पूरा करना चाहिए जिसका अर्थ है कि ग्लाइसिन को पृथक-पृथक उपभोक्ता विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए और अधिक गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। इसलिए, उच्च शुद्धता वाली ग्लाइसिन का परिणाम तकनीकी ग्रेड ग्लाइसिन की तुलना में उत्पादन की उच्च लागत में और उच्च बिक्री कीमत में होगा। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए इनवॉयसिस भी दर्शाते हैं कि उच्च शुद्धता वाले ग्रेडों की बिक्री कीमत (फूड ग्रेड/फर्मास्युटिकल ग्रेड) की बिक्री कीमत तकनीकी/औद्योगिक ग्रेड की बिक्री कीमत की तुलना में काफी अधिक है। ऐसी स्थिति में, पीसीएन कार्य पद्धति पीयूसी के विभिन्न ग्रेडों के बीच एप्पल टू एप्पल तुलना को अपनाने के लिए उचित है। इसलिए, प्राधिकारी ने दिनांक 20 अप्रैल, 2022 के नोटिस के अनुसार निर्धारित पीसीएन कार्य पद्धति की पुष्टि करने का निर्णय लिया है।

14. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा पीयूसी के दायरे से किसी ग्रेड या उत्पाद प्रकार के बहिष्करण के संबंध में कोई दावा नहीं किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी निम्नानुसार पीयूसी के दायरे की पुष्टि करने का निर्णय लेते हैं:

"वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "ग्लाइसिन" है। ग्लाइसिन का अंतर्राष्ट्रीय संघ का शुद्ध और एलाइड रसायन का ("आईयूपीएसी") नाम 2-एमीनोएसेटिक एसिड है। इसे एमिनो एसिटिक एसिड, 2- एमिनोएथेनोइक एसिड (आईयूपीएसी व्यवस्थित) और अइकोकोल के रूप में भी जाना जाता है। इस जांच के क्षेत्र में किसी भी नाम से ज्ञात "ग्लाइसिन" शामिल है। चूंकि, ग्लाइसिन को शुद्धता या ग्रेडों के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित किया जाता है, इसके शुद्धता या ग्रेड के स्तर के आधार पर बहुत से व्यापारिक नाम है जैसे अपरिष्कृत औद्योगिक, टेक्नीकल ग्रेड, फीड ग्रेड, फूड ग्रेड, यूएस फर्माकोपिया अथवा यूएसपी ग्रेड, आईपी ग्रेड, फूड ग्रेड और फर्मास्युटिकल ग्रेड। इस जांच के दायरे में सभी ग्रेड के ग्लाइसिन शामिल हैं।

ग्लाइसिन एक आम तौर पर एक श्वेत सामग्री है जो गंधहीन और स्वाद में मीठा पदार्थ है। इसके सूखे रूप में जोकि ऐसा फार्म है जिसमें इसकी आमतौर पर बिक्री की जाती है, यह एक मुक्त बहने वाला क्रिस्टलीय पदार्थ है, जैसे नमक या चीनी। फूड ग्रेड और फार्मास्युटिकल ग्रेड को ग्लाइसिन को उच्च शुद्धता स्तर को पूरा करना चाहिए जबकि तकनीकी ग्रेड का ग्लाइसिन निम्न शुद्धता स्तर का हो सकता है। निम्न शुद्धता ग्रेड के ग्लाइसिन का उपयोग उन अनुप्रयोगों में नहीं किया जा सकता जिनके लिए फूड ग्रेड और फार्मास्यूटिकल ग्रेड के ग्लाइसिन जी जरूरत होती है।

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत आता है। ग्लाइसिन एचएस कोड 29224910 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, पीयूसी को कोड अर्थात 29224990 आदि के अंतर्गत भी आयात किया जाता है"।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति

घ.1. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग अपनी याचिका के अनुबंध 10 में नोट करते हैं कि कुमार इंडस्ट्रीज संबद्ध वस्तुओं का केवल एक अन्य भारतीय उत्पादक है। घरेलू उद्योग अपनी याचिका में नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कुमार इंडस्ट्रीज की उत्पादन मात्रा *** मी.ट. प्रति वर्ष रही है। याचिका यह भी नोट करती है कि कुमार इंडस्ट्रीज संबंधित आयातक के जरिए भारत में आने वाले आयातों में शामिल है।

ii. युनाइटेड स्टेट्स ने भारत में ग्लाइसिन के निर्यातों के विरुद्ध अपनी प्रति प्रतिकारी शुल्क जांच में कुमार इंडस्ट्रीज की पहचान भारत से युनाइटेड स्टेट्स को सबसे बड़ें उत्पादक/निर्यातक के रूप में की है।

iii. इस बात की संभावना नहीं है कि कुमार इंडस्ट्रीज संबंधित आयातकों के जरिए महत्वपूर्ण आयातों में सम्मिलित है। यह यूएसडीओसी के निर्णय के विपरीत है जिसमें यह नोट किया गया है कि कुमार इंडस्ट्रीज युनाइटेड स्टेट्स को पीयूसी का सबसे बड़ा निर्यातक है।

iv. अपने संबंधित आयातकों के जरिए कुमार इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए आयातों की मात्रा या रेंज को घरेलू उद्योग द्वारा साझा नहीं किया गया है।

v. प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के इस दावे की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए कि कुमार इंडस्ट्रीज एक पात्र घरेलू उत्पादक नहीं है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, प्राधिकारी के पास यह निर्णय करने का विवेकाधिकार है कि क्या भारत में किसी उत्पादक, जो संबद्ध वस्तुओं का एक आयातक भी है, या संबंध वस्तुओं के आयातक या निर्यातक से संबंधित है, को एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

vi. आवेदक उत्पादक, पारस इंटरमीडिएट्स प्रा. लिमि. ने पीओआई में अपनी संबंधित फर्म के जरिए संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। पारस इंटरमीडिएट्स ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए आयातों की घोषणा उपलब्ध नहीं करायी है। इसके अलावा, कंपनी ने चीन जन.गण. के अलावा अन्य देशों से किए गए आयातों की घोषणा भी उपलब्ध नहीं कराई है। इन तथ्यों के प्रकाश में, पारस इंटरमीडिएट्स प्रा. लिमि. को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जा सकता।

vii. प्राधिकारी द्वारा एक ओर कुमार इंडस्ट्रीज के बहिष्करण और दूसरी ओर घरेलू उद्योग के रूप में पारस इंटरमीडिएट्स प्रा. लिमि. को शामिल किए जाने के घरेलू उद्योग के दावे का, जिन्हें अन्यथा समान स्तर पर रखा गया है, पुर्नमूल्यांकन किया जाना चाहिए।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा उनके द्वारा आयात किए गए ग्रेड के प्रकारों के विवरण और आयातों के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। संबद्ध वस्तुओं के तीन ग्रेड हैं अर्थात फर्मास्युटिकल ग्रेड, फूड ग्रेड और तकनीकी ग्रेड। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह संबद्ध वस्तु के सभी ग्रेडों का विनिर्माण करता है। संबद्ध वस्तुओं के आयात किए जाने की जरूरत स्पष्ट नहीं है।

ix. याचिका नोट करती है कि पारस इंटरमीडिएट्स प्रा. लिमि. द्वारा किए गए आयातों का हिस्सा भारत में कुल मांग के 5% से कम है। प्राधिकारी को भारत में कुल आयातों के प्रकाश में पारस इंटरमीडिएट्स द्वारा किए गए आयातों की जांच करनी चाहिए। यदि, पारस इंटरमीडिएट्स प्रा. लिमि. ने कुल आयातों के 3% से अधिक आयात किया है तो इसे घरेलू उद्योग के दायरे से बहिष्कृत किया जाना चाहिए।

x. भारत से ग्लाइसिन के निर्यातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाने वाले दिनांक 22 जनवरी, 2022 के युनाइटेड स्टेट्स के हाल के नोटिस में आवेदकों और कुमार इंडस्ट्रीज के अलावा, सितंबर, 2018 से दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान भारत में ग्लाइसिन के निर्यातकों के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त हस्तियों की पहचान की गई है:

क) मुलजी मेहता एंटरप्राइजेज

ख) मुलजी मेहता फार्मा

ग) रुद्रा इंटरनेशन

घ) स्टूडियो डिसरप्ट

xi. प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या ये हस्तियां भी ग्लाइसिन के उत्पादन में संलग्न हैं और क्या प्रमुख समानुपात का निर्धारण करने के लिए उनके कुल उत्पादन को ध्यान में रखा गया है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. प्राधिकारी ने संबद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत के समय 'घरेलू उद्योग' के दायरे के भीतर मै. पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमि. को शामिल कर ठीक किया है।

ii. सेंचुरी प्लाईबोर्ड (आई) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में माननीय गुवाहटी उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, यह कहा गया है कि प्राधिकारी को ऐसे उत्पादकों को शामिल करने के लिए विवेकाधिकार प्राप्त है जो स्वयं आयातक है (हैं) अथवा 'घरेलू उद्योग' के अर्थों के भीतर पाटित वस्तुओं के निर्यातक अथवा आयातकों से संबंधित हैं।

iii. मै. पास्को ट्रेडर्स, पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की संबद्ध स्थिति को उपेक्षित करने के लिए ग्लाइसिन की छोटी मात्राओं को आयात करने के लिए दबाव डाला गया। आयातों की कुल मात्रा भारत में कुल मांग और कुल आयातों के 5% से भी कम थी। संबंधित आयातक द्वारा किए गए आयात चीन जन.गण से संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों और भारत में इनकी मांग की तुलना में नगण्य हैं।

iv. किसी कथित 3% के बैंच मार्क के आधार पर मैं. पारस इंटरमीडिएट्स को बाहर रखे जाने का पाटनरोधी नियमावली के तहत कोई आधार या सिद्धांत मौजूद नहीं है और इस अनुरोध को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना चाहिए।

v. कुमार इंडस्ट्रीज भी भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। कंपनी ने संबद्ध जांच में स्वयं को शामिल न किए जाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि यह बड़े स्तर पर अपने संबंधित आयातकों के जरिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों में शामिल है। संबद्ध जांच को आरंभ करने वाले आवेदन में कुमार इंडस्ट्रीज सहित सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों के उत्पादन विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। कुमार इंडस्ट्रीज ने याचिका के प्रति अपना समर्थन या विरोध प्रकट नहीं किया है।

vi. प्रत्यार्थियों द्वारा पहचानी गई हस्तियों अर्थात (i) मुलजी मेहता एंटरप्राइजेज, (ii) मुलजी मेहता फार्मा, (iii) रुद्रा इंटरनेशनल और (iv) स्टूडियो डिस्रप्ट, संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक हैं। ये कंपनियां संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक नहीं है।

vii. कुमार इंडस्ट्रीज की उत्पादन मात्राओं को शामिल किए जाने के बाद भी, आवेदक भारत में ग्लाइसिन के कुल उत्पादन के प्रमुख समानुपात स्थापित करते हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" (ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है"।

18. अपने आवेदन में, आवेदकों ने भारत में संबद्ध वस्तुओँ के तीन उत्पादकों की पहचान की है अर्थात (i) पारस इंटर मीडिएट्स प्राइवेट लिमि., (ii)आविद आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और (iii) कुमार इंडस्ट्रीज। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इसकी संबंधित हस्तियों के जरिए कुमार इंडस्ट्रीज द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए आयातों पर विचार करते हुए कुमार इंडस्ट्रीज एक पात्र घरेलू उत्पादक नहीं है।

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमि. तथा कुमार इंडस्ट्रीज ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और इसलिए यदि पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को एक पात्र घरेलू उत्पादक समझा गया है तब कुमार इंडस्ट्रीज को भी एक पात्र घरेलू उत्पादक समझा जाना चाहिए और घरेलू उद्योग की स्थिति कुल भारतीय उत्पादन में कुमार इंडस्ट्रीज की उत्पादन मात्रा पर विचार करने के बाद निर्धारित की जानी चाहिए।

20. प्राधिकारी ने पास्को ट्रेडर्स द्वारा किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच की है, जो जांच की अवधि के दौरान पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पास्को ट्रेडर्स ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लगभग *** मी.ट. का आयात किया है। पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्रियां क्रमशः *** मी.ट. और *** मी.ट. रहे हैं। तदनुसार, यह नोट किया गया है कि पास्को ट्रेडर्स द्वारा किए गए आयात पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन के 25-30% की रेंज में है और पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की घरेलू बिक्रियों की तुलना में काफी अधिक हैं। पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के ऐसे महत्वपूर्ण आयातों को देखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में संबद्ध वस्तुओं के एक पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड पर विचार न करने का निर्णय लिया है।

21. इस अनुरोध के संबंध में कि कुमार इंडस्ट्रीज की उत्पादन मात्रा *** मी.ट. की नहीं हो सकती और यह निर्धारित करते हुए कि क्या दोनों आवेदक घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग में प्रमुख समानुपात हिस्सा स्थापित करते हैं या नहीं, कुमार इंडस्ट्रीज की वास्तविक उत्पादन मात्रा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुमार इंडस्ट्रीज भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक ज्ञात उत्पादक है। घरेलू उद्योग ने भी अपने आवेदन में यह प्रकट किया है कि कुमार इंडस्ट्रीज संबद्ध वस्तुओं का एक ज्ञात उत्पादक है। तथापि, कुमार इंडस्ट्रीज ने जांच में भाग लेने से इंकार किया है और अपने कुल उत्पादन के संबंध में कोई सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि कुमार इंडस्ट्रीज बड़े स्तर पर अपने संबंधित आयातकों के जरिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भी शामिल है।

22. यह विचार करते हुए कि कुमार इंडस्ट्रीज ने कोई जानकारी प्रदान करने से बचाव किया है और यह अपने संबंधित आयातकों के जरिए पीयूसी के महत्वपूर्ण आयातों में शामिल है, प्राधिकारी ने यह विचार करने का निर्णय किया है कि कुमार इंडस्ट्रीज पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में संबद्ध वस्तुओं का एक पात्र घरेलू उत्पादक नहीं है। प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि भारत में कुल घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सा रखने वाला आविद आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक पात्र घरेलू उत्पादक है और पाटन रोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू

उद्योग ठहरता है और आवेदकों द्वारा दायर किया गया आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:

i. घरेलू उद्योग की याचिका का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति नहीं है। यह 2013 के ट्रेड नोटिस 01 के उल्लंघन में है।

ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह जांच करने की जरूरत है कि क्या गोपनीयता के दावे की जरूरत है या नहीं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीयता के दावे से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसी सूचना के प्रकटीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है।

iii. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित मापदंडों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है:

क. आवेदकों और अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन मात्रा के विवरण

ख. अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन संबंधी सूचना का स्रोत

ग. सभी अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन का कुल डाटा

घ. भारत में कुल घरेलू उत्पादन का विवरण

ड. कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक उत्पादकों और अन्य उत्पादकों का हिस्सा

च. कुल घरेलू उत्पादन में अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा धारित प्रतिशत हिस्से की रेंज

छ. पारस इंटरमीडिएट्स की संबंधित फर्म द्वारा आयातित संबद्ध वस्तुओँ के ग्रेड सहित आयातों के विवरण

ज. आवेदकों द्वारा आयातों और संबद्ध वस्तुओँ के आयातकों या निर्यातकों के साथ उनके रिश्ते के लिए हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।

झ. सामान्य मूल्य और पीसीएन वार सामान्य मूल्य के विवरण

ञ. मांग के वास्तविक आंकड़े

ट. घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों की रेंज का प्रतिशत हिस्सा

ठ. विस्तृत चरण-वार विनिर्माण प्रक्रिया पर लेख

ड. पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री के नाम,

ढ. लागत संबंधी सूचना

ण. प्रतिशतांक संदर्भ में लाभ/हानि और आरओसीई

त. कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन

थ. घरेलू उद्योग द्वारा समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, पतन व्ययों, अंतर्देशीय परिवहन, कमीशन, बैंक प्रभारों और वैट के लिए निर्यात कीमत से समायोजन का दावा किया गया है। तथापि, उद्योग द्वारा उपरोक्त समायोजन दावों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। समुद्री मालभाड़ा विवरणों को भी अत्यधिक बढ़ा कर बताया गया है।

द. आवेदकों ने केवल पीओआई में चीन जन.गण. से आयातों के संबंध में एक विवरण प्रदान किया है। पिछले तीन वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान किए गए आयातों के कोई विवरण/घोषणा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी प्रकार, चीन जन.गण. के अलावा अन्य देशों से आयातों के लिए उनके द्वारा किए गए आयातों के लिए कोई विवरण/घोषणा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. मै. हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नालॉजी कं. लिमि. और मै. गुआनगन चेंगशिन केमिकल कंपनी ने अपने अगोपनीय प्रत्युत्तर में गोपनीय सूचना के अर्थपूर्ण सारांश उपलब्ध नहीं कराए हैं।

ii. मै. हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नालॉजी कं. लिमि. ने निम्नलिखित सूचना के सारांश उपलब्ध न कराने के द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 की जरूरतों के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है:

क. शेयरधारकों और संबद्ध कंपनियों के नाम

ख. उत्पादन प्रक्रिया

ग. मुख्य कच्चा माल

घ. लेखाकरण सिद्धांत

ड. क्या उत्पादन के लिए उपयोग किए गए कच्चे माल और युटिलिटीज क्रय किए गए हैं या कंपनी द्वारा कैप्टिव रूप से उत्पादित किए गए हैं

च. आयातित कच्चे माल, मूल के देश और इस के आपूर्तिकर्ताओं के नाम

छ. परिशिष्ट

ज. वित्तीय विवरण

iii. मै. गुआनगन चेंगशिन केमिकल कं. लिमि. ने निम्नलिखित जानकारी के सारांश उपलब्ध न करा कर पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 की जरूरतों के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है:

क. उत्पाद सूची

ख. शेयरधारकों की सूची

ग. व्यापार लाइसेंस

घ. कानूनी ढांचा

ड. वित्तीय विवरण

च. परिशिष्ट

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

25. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

"गोपनीय सूचना - (1) नियम के उपनियमों 6(2), (3) और (7)नियम 12 , के उपनियम (2)नियम 15 के , उपनियम (4) और नियम के उपनियम 17 (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

26. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया और तदनुसार उल्लेख किया गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई

और जहां भी जरूरी था ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय माने जाने का दावा किया है।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी सभी सूचना के अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराए हैं जो वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु प्रासंगिक हैं।

च. विविध अनुरोध

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. ग्लाइसिन जरूरी और जीवन रक्षक उद्योगों में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है- जैस फर्मास्युटिकल्स, कृषि और फूड एवं पशु भोजन। प्राधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग के पास चीन जन.गण. से ग्लाइसिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करने से पूर्व भारतीय बाजार में मांग को पूरा करने की क्षमता है।

ii. भारत फर्मास्युटिकल इंटरमीडिएट्स और पशु भोजन संपूरकों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। ग्लाइसिन बहुत से फर्मास्युटिकल इंटरमीडिएट्स, पोषण उत्पादों और भोजन संपूरकों में मुख्य कच्ची सामग्री है। ग्लाइसिन की कीमत में वृद्धि भारत को इन उत्पादों के लिए बाकी विश्व की तुलना में अप्रतिस्पर्धी बना देगी।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. आवेदकों ने संबद्ध जांच की अवधि के दौरान कोई अन्य अनुरोध नहीं किए हैं।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. इस अनुरोध के संबंध में कि ग्लाइसिन का प्रयोग अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधियों में किया जाता है और यह कि घरेलू उद्योग के पास भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुल मांग और घरेलू उद्योग की क्षमता के बीच का अंतर भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटन को न्यायसंगत सिद्ध नहीं करता। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पाटित आयातों और घरेलू उत्पादन के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा का उपचार करने के लिए लागू किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क किसी भी स्थिति में भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता।

31. इस अनुरोध के संबंध में कि ग्लाइसिन निर्यात उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला एक कच्चा माल है एवं ग्लाइसिन पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करना निर्यातों को अलाभकारी बनाएगा, प्राधिकारी नोट करते हैं यदि निर्यात उत्पादों के उत्पादन में ग्लाइसिन का प्रयोग किया जाता है तब निर्यातक निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि कच्चे माल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लगाने से छूट प्राप्त करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण योजना।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

32. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से अभिप्राय है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा*:

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा*

(ख) *उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत*:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार है:

i. प्राधिकारी को पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर की गई सूचना पर विचार करना चाहिए।

ii. चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल का अध्याय 15 दिसंबर, 2016 में समाप्त हो गया था और अब गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना स्वतः नहीं है। इसलिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को यह सोचने के लिए सक्षम बनाए कि चीनी उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहे हैं और अपनी घरलू कीमतों और लागतों की उपेक्षा कर रहे हैं। चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उनकी घरेलू कीमतों और संबद्ध वस्तुओं की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

iii. चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य किसी अतिरिक्त प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना उनके रिकार्डों पर आधारित होना चाहिए।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा उनकी याचिका में परिकलित किए गए सामान्य मूल्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उनकी घरेलू बिक्रियों और संबद्ध वस्तुओं की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

v. घरेलू उद्योग ने एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया है। भारतीय कीमतों और लागतों पर भरोसा करने की क्रिया पद्धति का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जब पैरा 7 के आरंभिक वाक्य में निर्धारित किए गए विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करना संभव न हो।

vi. घरेलू उद्योग सामान्य मूल्य के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की पहचान करने में असफल रहा है। केवल वहीं जहां ऐसे तीसरे देश से अनिवार्य डाटा प्राप्त करना संभवा न हो, सामान्य मूल्य को किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें किसी उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि जरूरी हो, विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या अदायगी योग्य कीमत शामिल होगी।

vii. घरेलू उद्योग पर बिना किसी अनुचित विलंब के बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के बारे में सूचित करने की बाध्यता है ताकि संबंधित पक्षकारों को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

viii. संबद्ध जांच की शुरुआत के समय, आवेदकों ने प्रस्ताव किया कि निम्नलिखित तीन विकल्पों से सामान्य मूल्य प्राप्त किया जा सकता है:

(क) जापान से यूएसए को निर्यात

(ख) भारत से कनाडा को निर्यात

(ग) भारत से यूएसए को निर्यात

ix. घरेलू उद्योग के इस प्रस्ताव को प्राधिकारी द्वारा उचित औचित्य के अभाव के कारण अपनी जांच शुरुआत अधिसूचना में उचित रूप से खारिज कर दिया गया था। प्राधिकारी ने अपनी जांच शुरुआत अधिसूचना में नोट किया था कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की समान वस्तु के उत्पादन की लागत और लाभ के लिए उचित परिवर्धन सहित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के आधार पर निर्मित किया गया है।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों की घरेलू कीमत और लागत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि वे ये प्रदर्शित न करें कि लागतें और घरेलू कीमतें उचित हैं और विचाराधीन उत्पाद की लागतों और कीमत को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करतीं।

ii. चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तओं के लिए सामान्य मूल्य को एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसरण में निर्धारित किया जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने वाले उत्पादक/निर्यातकों द्वारा यह स्थापित किए जाने की जरूरत है कि वे उनकी लागतों और कीमतों पर विचार किए जाने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के अंतर्गत प्रचालन कर रहे हैं।

iii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की कल्पना का खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन.गण. से निर्यातक पर्याप्त जानकारी और साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और इसके विपरीत स्थापित करते हैं। ऐसे करते समय, प्राधिकारी को निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करना चाहिए।

क) क्या कीमतों, लागतों और कच्चे माल सहित इनपुट, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्रियों और निवेश के संबंध में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों के निर्णय आपूर्ति और मांग को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार संकेतकों की प्रतिक्रिया में और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना किए गए हैं;

ख) क्या ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, विशेष रूप से संपत्ति के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते डालना, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋण की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण विरुपण के अधीन हैं;

ग) क्या ऐसी फर्में, बैंक दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देती है; और

घ) क्या मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

iv. वर्तमान जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों में से किसी ने भी बाजार अर्थव्यवस्था उपचार को स्थापित करने के लिए जरूरी प्रश्नावली उत्तर को विधिवत रूप से दायर नहीं किया है। इसके अलावा, दोनों निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था उपचार की गारंटी नहीं दे सकते और उनकी लागतों और घरेलू कीमतों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

v. विचाराधीन उत्पाद यूएसए, भारत, थाइलैंड, जापान और चीन जन.गण. में उत्पादित किया जाता है। आवेदकों ने चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमत के साक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसके अलावा, जापान और यूएस में संबद्ध वस्तुओं की वास्तविक कीमत का कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य नहीं है। आवेदक एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में यूएस में वास्तविक बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकते।

vi. आवेदकों ने जापान और यूएस में उत्पादन की लागत के संबंध में संगत सूचना एकत्र करने का प्रयास किया था। हालांकि इसके संबंध में कोई प्रकाशित सूचना उपलब्ध नहीं है। आवेदक एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकते।

vii. चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का अनुमान बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश अर्थात जापान और भारत से बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश यूएसए और कनाडा, के आधार पर अनुमानित किया गया है, क्योंकि इसने अनुबंध I पैरा 7 का परीक्षण उत्तीर्ण किया है।

viii. याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य के रूप में संगत समायोजनों के साथ जापान से यूएसए को निर्यात कीमत पर भी विचार किया है। यूएसए में आयातकों के लिए जापान सबसे पड़ा स्रोत है (भारत के

अतिरिक्त)। इसलिए, यूएसए के घरेलू बाजार में अभिभावी कीमत के लिए सबसे उचित तुलना जापान से निर्यात कीमत से की जा सकती है, क्योंकि संबंधित बाजार को निर्यात की गई मात्रा स्वरूप में प्रतिनिधिक हैं। जापान और भारत से यूएस में आयात कीमत तथा भारत एवं जापान से यूएस को निर्यात कीमत उचित रूप से अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में सामान्य मूल्य को प्रतिबिंबित करती है।

ix. इन देशों से आयात समान अनुप्रयोग के लिए किए जा रहे हैं। वस्तुएं ऐसी सीमा तक समान वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ये सभी अनिवार्य विशेषताओं में लगभग समान हैं। चूंकि, ये कीमतें सीआईएफ कीमतें हैं, और निर्यात कीमत कारखानागत है, इसलिए, कारखाना गत आधार पर सामान्य मूल्य की संगणना करने के लिए मालभाड़ा, बीमा, बैंक प्रभारों और अंतर्देशीय मालभाड़ा, आदि जैसे व्ययों के लिए कीमत को समायोजित किया गया है। समायोजनों के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए गए हैं और मालभाड़ा आदि के लिए अनुमान हेतु साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए हैं इस आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन को चीन जन.गण. से आयातों के संबंध में निर्धारित किया गया है।

x. वैकल्पिक रूप से, भारत पर बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार किया जा सकता है। भारत यूएसए और कनाडा में आयातकों के लिए सबसे बड़े गंतव्यों में से एक है, जो स्वयं भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसलिए, भारत के घरेलू बाजार में अभिभावी कीमत के लिए सर्वाधिक उचित तुलना यूएसए और कनाडा की निर्यात कीमत से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि संबंधित बाजारों को निर्यात किए गए सामग्री, मात्रा, ग्रेड और मात्रा की कीमतें स्वरूप में प्रतिनिधि हैं।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. प्राधिकारी चीन जन.गण. से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए प्रश्नावली प्रेषित कर सकते हैं। चीन जन.गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातकों की प्रश्नावली के प्रत्युत्तर दायर किए हैं:

i. हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नालॉजी कंपनी लिमि.

ii. गुआनगन चेंगशिन केमिकल कंपनी लिमिटेड

36. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का विश्लेषण किया है और तदनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।

37. डब्ल्यूटीओ में चीन के एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

38. आवेदकों ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (i) के साथ-साथ पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 पर विश्वास किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रचलित है। आवेदकों द्वारा यह कहा गया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी बाजार संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

39. यह नोट किया जाता है कि अनुच्छेद 15 (ए) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, जबकि परिग्रहण प्रोटोकॉल के 15 (ए) (i) के तहत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए नियमों के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की आवश्यकता है।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली दर्ज नहीं की है।

41. चूंकि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकडें/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा-7 में उपबंध के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई

किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । "

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध I के पैरा (7) के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जा सकता है, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, जब ऐसा आधार संभव नहीं है, केवल तभी प्राधिकारी भारत में भुगतान या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की कीमतों या निर्मित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था के लिए कीमत या लागत से संबंधित सुसंगत जानकारी आवेदकों द्वारा या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध न तो कराई गई है न ही यह किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है।

44. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यात कीमतों के आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कीमत के संबंध में प्रदान की गई जानकारी जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका को कुल निर्यात की औसत निर्यात कीमत है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पीसीएन के आधार पर जापान से यूएसए को निर्यात कीमत प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई निर्यात कीमत की जानकारी जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है और जापान से तीसरे देशों को नहीं है जैसा कि अनुबंध I के पैरा (7) के प्रावधानों के तहत आवश्यक है। जापान से यूएसए को पीसीएन-वार निर्यात के पृथक्करण के संबंध में सूचना भी प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है।

45. इसके अलावा, विश्व में ग्लाइसिन उत्पादन और बाजार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में, यह नोट किया गया है कि चीन जन.गण में उत्पादन मुख्य रूप से तकनीकी/औद्योगिक ग्रेड का है, जबकि ग्लाइसिन का उत्पादन करने वाले अन्य देशों की स्थिति के विपरीत है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि चीन जन.गण से भारत में आयात प्राथमिक रूप से तकनीकी/औद्योगिक ग्रेड का है।

46. प्राधिकारी ने जांच आरंभ करने के नोटिस में यह भी नोट किया है कि सामान्य मूल्य के आधार के रूप में जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कीमत पर विचार करने के लिए कोई उचित औचित्य प्रदान नहीं किया गया है। यह व्यक्त करने के अलावा कि जापान संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातकों के लिए आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, घरेलू उद्योग ने भी सामान्य मूल्य के आधार के रूप में जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका को कीमतों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए जांच के दौरान कोई सहायक सूचना प्रदान नहीं की है।

47. इस दावे के संबंध में कि भारत से कनाडा और/अथवा यूएसए को देय कीमत को सामान्य मूल्य का आधार माना जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध I के पैरा (7) में भारत से तीसरे देशों को निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति नहीं है। ।

48. अत:, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देशों को कीमत के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है और तद्नुसार प्राधिकारी घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और तर्कसंगत बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ मार्जिन जोड़ने के बाद उसके आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य परिकलित करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने पीओआई के दौरान फूड ग्रेड ग्लाइसिन का उत्पादन और बिक्री की है। प्राधिकारी ने फूड ग्रेड ग्लाइसिन के लिए एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अधिकांश आयात चीन जन.गण. से आ रहे हैं और वे तकनीकी ग्रेड/औद्योगिक ग्रेड ग्लाइसिन के हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी ने फूड ग्रेड ग्लासिन के सामान्य मूल्य के लिए बिल्कुल सटीक तुलना हेतु उचित समायोजन किए हैं।

छ.3.1 निर्यात मूल्य

हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड

49. हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु का उत्पादक है। इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने निर्धारित प्रश्नावली प्रारूपों में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है।

50. हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन वार सूचना दी है। यह नोट किया जाता है कि हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने समुद्री माल भाडा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के खातों पर समायोजन का दावा किया है, जिसे प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।

51. प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक द्वारा दर्ज प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यात की पीसीएन वार सूचना का सत्यापन किया है। भारित औसत पीसीएन वार कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य जैसा कि निर्धारित किया गया है, पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

गुआंगन चेंगक्सिन केमिकल कं, लिमिटेड

52. गुआंगन चेंगक्सिन केमिकल लिमिटेड. चीन जन.गण में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है । गुआंगन चेंगक्सिन केमिकल लिमिटेड. ने निर्धारित प्रश्नावली प्रारूपों में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है।

53. गुआंगन चेंगक्सिन केमिकल लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात से संबंधित पीसीएन वार जानकारी दी है। यह नोट किया जाता है कि गुआंगनचेंगक्सिन केमिकल कं, लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। गुआंगनचेंगक्सिन केमिकल कं, लिमिटेड ने समुद्री माल भाडा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के खातों पर समायोजन का दावा किया है, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।

54. प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक द्वारा दर्ज प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यातों की पीसीएन वार सूचना का सत्यापन किया है । भारित औसत पीसीएन वार कारखानागत निर्यात कीमत जैसा कि निर्धारित किया गया है, पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.3.2 अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

55. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन

56. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम रेंज से अधिक है।

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (रु/कि.ग्रा)	एनईपी (रु/कि.ग्रा)	पाटन मार्जिन (रु/कि.ग्रा)	पाटन मार्जिन (अम.डा/कि.ग्रा)	पाटन मार्जिन%	रेंज
हेबई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	***	50-60

गुआंगन चेंगक्सिन केमिकल कं, लिमिटेड	***	***	***	***	***	75-85
अन्य सभी	***	***	***	***	***	105-115

क. क्षति निर्धारण और क्षति तथा कारण लिंक की जांच के लिए पद्धति

57. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में ..." पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है ,जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

58. प्राधिकारी ने अपनी जांच में क्षति मानकों का मूल्यांकन किया है जो नियमों के नियम 11 और अनुबंध II के तहत आवश्यक हैं।

ज.1. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

59. घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा कि उसे निर्यात करने के लिए बाध्य किया गया है, गलत है और रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है। घरेलू उद्योग वर्ष 2019-20 और जांच की अवधि में अपनी निर्यात बिक्री पर लाभ अर्जित कर रहा है।

ii. संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि को निर्यात बिक्री अधिक आकर्षक है, भले ही घरेलू बाजार में कोई आयात प्रतिस्पर्धा न हो क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को निर्यात बिक्री कीमत एनआईपी अर्थात घरेलू उद्योग के आदर्श बिक्री मूल्य से अधिक है। घरेलू उद्योग का अनुमानित एनआईपी 300-340 रुपये/किलोग्राम के निर्यात मूल्य से कम है। अत:, घरेलू उद्योग पहले निर्यात बाजार में मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करेगा क्योंकि यह अधिक लाभकारी है। घरेलू उद्योग के निर्यात में भी क्षति जांच अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है और क्षमता में वृद्धि का उपयोग निर्यात की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है।

iii. प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या निर्यात बाजार में मांग को पूरा करने के बाद घरेलू बाजार में मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास कोई क्षमता उपलब्ध है। घरेलू उद्योग का प्राथमिक फोकस निर्यात बाजार पर है और घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में आपूर्ति करने से पहले निर्यात बाजार में मांग को पूरा करेगा।

iv. घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है।

v. भारत से ग्लाइसिन के आयात पर वर्ष 2021-2022 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अधिरोपित शुल्क(पाटन रोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क) के संबंध में नवीनतम जानकारी दर्शाता है कि पारस इंटरमीडिएट्स प्रा. लिमिटेड (11.36%) और एविड ऑर्गेनिक्स प्रा लिमिटेड (5.16%) के आवेदक घरेलू उत्पादकों से आयात की तुलना में कुमार इंडस्ट्रीज (17.36%) से आयात पर अधिक है।इसने आवेदक घरेलू उत्पादकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात में वृद्धि की संभावनाएं बनाई हैं क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारत से इसका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी शुल्क की उच्च दर का सामना कर रहा है।

vi. प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू बिक्री में गिरावट और अन्य संबंधित मानदंड स्वत: ही थोपे गए हैं।

vii. चीन जन.गण द्वारा किए गए निर्यात के लिए कीमत में कटौती गैर-प्रतिनिधि है। चीन जन.गण. से निर्यात प्राथमिक रूप से तकनीकी/औद्योगिक ग्रेड के होते हैं जबकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री प्राथमिक रूप से खाद्य ग्रेड और

फार्मास्युटिकल ग्रेड की होती है। संबद्ध वस्तुओं के खाद्य ग्रेड और फार्मास्युटिकल ग्रेड में शुद्धिकरण प्रक्रिया शामिल होती है और भारत में कम शुद्धता वाले औद्योगिक/तकनीकी ग्रेड के आयात की तुलना में उच्च लागत शामिल होती है।

viii. घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग को आयात और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव भी कीमत कटौती और लाभप्रदता के बीच परस्पर संबंध की कमी से स्पष्ट है। वर्ष 2019-20 में कीमत में कटौती और जांच की अवधि क्षति जांच अवधि में उच्चतम स्तर पर थी। तथापि, घरेलू उद्योग ने पिछले दो वर्षों की तुलना में, जब कीमत में कटौती, कम थी इन दोनों वर्षों में घाटे में गिरावट का अनुभव किया।

ix. प्रोफार्मा IV-A में याचिका में प्रदान की गई जानकारी घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के लिए बिक्री की अलग-अलग लागत दर्शाती है । पीयूसी की घरेलू और निर्यात बिक्री के लिए प्रति यूनिट बिक्री की लागत कमोबेश एक ही रेंज में रहने की आशा है और इसमें उसी के अनुरूप बदलाव होना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू बिक्री के लिए प्रति यूनिट बिक्री की लागत जांच की अवधि में महत्वपूर्ण रूप से क्यों बढ़ी लेकिन निर्यात बिक्री के मामले में गिरावट आई।

x. जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री के लिए प्रति यूनिट बिक्री की उच्च लागत के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी अधिक होगा । प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के बीच व्यय का आवंटन जांच की अवधि में उचित रूप से किया गया है या यदि किसी उचित औचित्य के बिना घरेलू बिक्री के लिए उच्च व्यय दर्ज किए गए हैं।

xi. क्षति के जोखिम के दावों के संबंध में, यह नोट किया जाना चाहिए कि प्राधिकारी ने क्षति के जोखिम के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे की जांच करने के लिए जांच आरंभ नहीं की है। जांच के आरंभ के नोटिस में केवल यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इस प्रकार, वास्तविक क्षति के जोखिम से संबंधित में घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में कोई और जांच नहीं की जा सकती है।

xii. इस दावे के संबंध में कि हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने *** टी / ए की उत्पादन क्षमता का संवर्धन किया है और हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं,लिमिटेड की कुल क्षमता *** एमटी है, यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग का दावा गलत है। जनवरी 2018 से हेबेई हुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की कुल क्षमता *** एमटी प्रति वर्ष है। प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने भी कोई क्षमता संवर्धन नहीं हुआ है जैसा कि आवेदकों ने दावा किया है। प्रतिवादी प्राधिकारी से प्रतिवादी की वास्तविक जानकारी पर विश्वास करने का अनुरोध करता है।

xiii. चेंग्क्सिन द्वारा संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत वर्ष 2018-19 के आधार वर्ष से जांच की अवधि तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई है। इसके अलावा, चेंगक्सिन ने वर्ष 2018-19 से भारत को निर्यात के विपरीत अपने घरेलू बाजार और अन्य देशों में अपनी बिक्री में वृद्धि की है।

xiv. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुआ होगा जब पूरे भारत में एक सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। आरंभ करने की अधिसूचना में परिभाषित पीओआई के आधार पर क्षति या क्षति की संभावना का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोध

60. क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री की तुलना में समग्र रूप से और सापेक्ष रूप में क्षति अवधि के दौरान काफी और लगातार वृद्धि हुई है।

ii. चीन जनवादी गणराज्य से भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात काफी कम कीमतों पर भारत में कुल आयातों का 98% हो गया है। संपूर्ण क्षति जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य के अलावा किसी अन्य देश से कोई आयात नहीं हुआ है।

iii. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में लगातार वृद्धि हुई है, तथापि पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि ने भारत में मांग को प्रभावित किया है। संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

iv. संबद्ध देश से आयात कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम रही हैं जिसके परिणामस्वरूप कीमत में सकारात्मक और महत्वपूर्ण कटौती हुई है । चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की पहुंच कीमत में

गिरावट आई है और चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है तथा क्षति अवधि में कीमत कटौती के स्तर में लगभग 100% की वृद्धि हुई है।

v. घरेलू उद्योग वर्तमान जांच अवधि के दौरान लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी निवल बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। आयातों की पहुंच कीमत में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई जबकि लागत में वृद्धि हुई। स्पष्ट रूप से, पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर मूल्य ह्रास और कीमत ह्रास हुआ और घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

vi. महत्वपूर्ण क्षति मार्जिन के कारण, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में उचित रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम नहीं है और भारतीय मांग में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी गवां दी है।

vii. चीन जनवादी गणराज्य के सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर निर्यात की मात्रा में वृद्धि और बिक्री मूल्य में गिरावट को प्रदर्शित करते हैं। कथित रूप से सहयोगी निर्यातकों से अत्यधिक कम पाटित कीमतों पर निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह घरेलू उद्योग की क्षति के दावे की पुष्टी करता है।

viii. घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षति जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के लगातार पाटन के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में जांच की अवधि में महत्व पूर्ण रूप से गिरावट आई है।

ix. चीन जनवादी गणराज्य का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में ***% से बढ़कर ***% हो गया है और साथ ही घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में लगभग ***% से घटकर लगभग ***% हो गया है। .

x. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अत्याधिक प्रभावित हुई थी। संबद्ध देश से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया है, जो उत्पादन की लागत से कम है।

xi. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट दर्शाई गई है।

xii. जांच की अवधि में आवेदकों के पास औसत मालसूची में काफी वृद्धि हुई है।

xiii. जांच की अवधि में लगभग सभी क्षति मानकों में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है।घरेलू बिक्री में गिरावट आई है, और लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय, सभी में चीन जनवादी गणराज्य से भारी मात्रा में पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

xiv. चीन जनवादी गणराज्य के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से काफी अधिक है और जांच की अवधि तथा पूरी क्षति अवधि में पर्याप्त है।

xv. लाभप्रदता में गिरावट के साथ, आवेदकों की पूंजी जुटाने की क्षमता कमजोर हो गई है।

xvi. चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के लिए अत्यधिक क्षमता है। वर्ष 2014-2016 के दौरान, ग्लाइसिन की राष्ट्रीय क्षमता में प्रति वर्ष 100,000 टन/प्रति वर्ष की वृद्धि हुई।

xvii. घरेलू उद्योग ने सीसीएम डेटा और बिजनेस इंटेलिजेंस, कोम्बर इंक., सातवें संस्करण (मार्च 2018) ("सीसीएम रिपोर्ट") द्वारा "चीन में ग्लाइसिन का उत्पादन और बाजार" शीर्षक वाली रिपोर्ट पर भरोसा किया है। सीसीएम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि चीन जन.गण में, समग्र ग्लाइसिन उत्पादन क्षमता वर्ष 2015 में *** एमटी से बढ़कर वर्ष 2017 में *** एमटी हो गई। साथ ही, चीन की ग्लाइसिन उत्पादन उपयोग दर बेहद कम थी और वर्ष 2015 में *** प्रतिशत अंक से वर्ष 2017 में*** प्रतिशत अंक केवल थोड़ी ही वृद्धि हुई थी। ।

xviii. सीसीएम रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादकों और निर्यातकों के पास मुक्त रूप से प्रयोज्य उत्पादन क्षमता काफी अधिक है। बढ़ती मांग के साथ भारत एक अत्यंत मूल्य संवेदनशील बाजार है, इसलिए निर्यातकों के लिए भारत में अपने निर्यात को उन्मुख करने के लिए एक आकर्षक और महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है। इसे 140 पीटी की मांग में वृद्धि की दर से भी देखा जा सकता है जो चीन जन.गण से भारत में आयातों में वृद्धि के साथ संरेखित होती है जो अत्यधिक पाटित कम कीमतों पर जांच की अवधि में लगभग 100% तक बढ़ गई है। पाटनरोधी शुल्क न लगाने की स्थिति में, निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात करने के लिए इन महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं का उपयोग करने की अत्यधिक संभावना है।

xix. इस दावे को प्रमाणित करने का कोई आधार नहीं है कि निर्यात से संबंधित भारी व्यय, शुल्क और बिक्री और विपणन व्यय के साथ-साथ निर्यात के लिए भुगतान किए गए कमीशन को देखते हुए निर्यात अधिक लाभकारी है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

61. क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतिवादों पर ध्यान दिया है।प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है ।

63. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में ..." पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है ,जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। "भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, सूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, परिमाण और मार्जिन डंपिंग आदि पर नियमों के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

64. इस अनुरोध के संबंध में कि 1 अप्रैल 2020-31 मार्च 2021 (12 महीने) कोविड -19 के प्रभावों के कारण प्रतिनिधि नहीं है, प्राधिकारी अपनी क्षति जांच में अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की लॉकडाउन अवधि को बाहर करने का निर्णय लेते है , इसलिए कि भारत में लॉकडाउन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों को जवाबदेह नहीं माना गया है।

ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, 65. पाटित आयातों के प्रमात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में या तो समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस और डीजी-सिस्टम्स से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी देशों से आयात के योग के रूप में किया गया है।

विवरण	इकाई	18-2017	19-2018	20-2019	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
चीन जन.गण से आयात	एमटी	3,146	3,525	5,436	5,085	6,780
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	112	173	162	215
अन्य देशों से आयात	एमटी	14	12	8	8	11

विवरण	इकाई	18-2017	19-2018	20-2019	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	86	59	59	79
कुल आयात	एमटी	3,160	3,536	5,444	5,093	6,791
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	112	172	161	215
आयात में बाजार हिस्सेदारी						
चीन जन.गण	%	99.57%	99.67%	99.85%	99.84%	99.84%
अन्य देश	%	0.43%	0.33%	0.15%	0.16%	0.16%
कुल आयात हिस्सा	%	100%	100%	100%	100%	100%
भारत में मांग						
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	1	22	1	1
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	96	98	55	74
चीन जन.गण से आयात	एमटी	3,146	3,525	5,436	5,085	6,780
अन्य देशों से आयात	एमटी	14	12	8	8	1 1
कुल भारतीय मांग	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	102	155	141	188
मांग में बाजार हिस्सेदारी						
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***	***
रेंज	%	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***	***
रेंज	%	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
चीन जन.गण	%	***	***	***	***	***
रेंज	%	90-80	100-90	100-90	100-90	100-90
अन्य देश	%	***	***	***	***	***
रेंज	%	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
कुल मांग हिस्सा	%	100%	100%	100%	100%	100%

66. प्राधिकरी नोट करते है कि:

i. क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कुल मांग में वृद्धि हुई है।

ii. क्षति जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में समग्र रूप

से और साथ ही भारत में मांग के संबंध में वृद्धि हुई है।

iii. क्षति जांच अवधि के दौरान अन्य देशों से आयात नगण्य हैं ।

ख. आयात की मात्रा और चीन जन.गण. से आयात का हिस्सा

67. चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभावों की जांच प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित तालिका में की गई है:

विवरण	**इकाई**	**18-2017**	**19-2018**	**20-2019**	**पीओआई (अप्रैल 2020- जून 2020 को छोड़कर)**	**पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)**
चीन जन.गण से आयात	एमटी	3,146	3,525	5,436	5,085	6,780
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	112	173	162	215
अन्य देशों से आयात	एमटी	14	12	8	8	1 1
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	86	59	59	79
कुल आयात	एमटी	3,160	3,536	5,444	5,093	6,791
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	112	172	161	215
आयात में बाजार हिस्सेदारी						
चीन जन.गण	%	99.57%	99.67%	99.85%	99.84%	99.84%
अन्य देश	%	0.43%	0.33%	0.15%	0.16%	0.16%
कुल आयात हिस्सा	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
निम्लिखित के संबंध में आयात						
उपभोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	110	111	114	114
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	424	91	98	98

68. यह देखा गया है कि:

i. क्षति जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है ।

ii . भारत में कुल खपत के संबंध में चीन जन.गण. से आयात में वृद्धि हुई है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव

69. नियमों के अनुबंध II (ii) के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर कीमत कटौती, मूल्य ह्रास और कमी, यदि कोई हो, के संदर्भ में विचार करना आवश्यक है।

क. कीमत में कटौती

70. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी कमी करना या कीमतों में वृद्धि को रोकना, जो अन्यथा काफी हद तक घटित होती। इस संबंध में, चीन जनवादी गणराज्य से उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है:

विवरण	इकाई	18-2017	19-2018	20-2019	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
चीन जन.गण से पहुंच मूल्य	रुपये/किग्रा	161	162	144	153
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	89	95
शुद्ध बिक्री मूल्य	रुपये/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	103	75	123
कीमत में कटौती	रुपये/किग्रा	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	%	40-50	40-50	20-30	80-90

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान कीमत में कटौती महत्वपूर्ण है और जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना है और कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में कीमतों और पहुंच मूल्य में परिवर्तन पर विचार किया।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
बिक्री की लागत (कारखानागत)	रु./किग्रा	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	107	75	102
बिक्री कीमत	रु./किग्रा	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	103	75	123
चीन जन.गण से आयात की पहुंच कीमत	रु./किग्रा	161	162	144	153
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	89	95

73. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मानकों पर प्रभाव

74. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का

तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानकों की यहां नीचे चर्चा की गई है।

क क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग

75. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	18-2017	19-2018	20-2019	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	100	75	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	26	190	186	248
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	26	190	248	248
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	1	22	1	1

76. यह देखा जा सकता है:

i. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है ।

ii. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग उच्चतम है।

iii. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में गिरावट आई है ।

ख. निर्यात निष्पादन

77. निर्यात बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
कुल बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	26	240	239	319
कुल बिक्री	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	32	287	298	397
कुल बिक्री	रु/कि.ग्रा	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	126	120	125	125
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	1	22	1	1
घरेलू बिक्री	लाख रुपये	***	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	1	17	1	1
घरेलू बिक्री	रु/कि.ग्रा	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	103	75	123	123
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	89	794	846	1,128
निर्यात बिक्री	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	112	972	1,051	1,402
निर्यात बिक्री	रु/कि.ग्रा	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	127	122	124	124
निम्नलिखित के संबंध में निर्यात बिक्री मात्रा						
संपूर्ण बिक्री	%	***	***	***	***	***
	रेंज	25-35%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%
घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***	***
	रेंज	35-45%	4035-4045%	1405-1415%	38555-38565%	38555-38565%

78. प्राधिकारी नोट करते है कि

i. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा की गई अधिकांश बिक्री निर्यात बाजार में है।

ii. क्षति जांच अवधि के दौरान कुल बिक्री में निर्यात बिक्री के भाग में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

iii. घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत से अधिक है।

ग. लाभप्रदता

79. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार हैं:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
बिक्री की लागत (कारखानागत)	रुपये/किग्रा	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	107	75	102	102
बिक्री कीमत	रुपये/किग्रा	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	103	75	123	123

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रुपये/किग्रा	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	(100)	300	100	(920)	(920)
लाभ/(हानि) – कुल घरेलू बिक्री	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	(100)	3	22	(8)	(11)

80. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को पीयूसी की घरेलू बिक्री पर 2019-20 तक घाटा हो रहा था। हालांकि जांच के दौरान उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है।

घ. नकद लाभ

81. नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है

विवरण	इकाई	18-2017	19-2018	20-2019	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
घरेलू बिक्री पर नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	0	2	1	2
घरेलू बिक्री पर नकद लाभ	रुपये/किग्रा	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	51	15	137	137

82. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान नकद लाभ अर्जित कर रहा है ।

ड. निवेश पर आय

83. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	18-2017	19-2018	20-2019	पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
ब्याज और कर पूर्व कुल लाभ - घरेलू बिक्री	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	0	1	3	4
आरओसीई	%	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	0.253	(0.88)	1,263	4.28

84. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान नियाजित पूंजी पर सकारात्मक आय अर्जित की है।

च. मालसूची

85. घरेलू उद्योग के पास मालसूची की जांच निम्नानुसार की गई है:

विवरण	**इकाई**	**18-2017**	**19-2018**	**20-2019**	**पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)**	**पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)**
औसत वस्तुसूची	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	186	181	46	61

86. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में गिरावट आई है ।

छ. उत्पादकता

87. कर्मचारियों की संख्या और साथ ही प्रति कर्मचारी उत्पादकता इस प्रकार है:

विवरण	**इकाई**	**18-2017**	**19-2018**	**20-2019**	**पीओआई (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)**	**पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)**
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	83	163	170	170
उत्पादन/दिन	एमटी/दिन	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	26	190	248	248

88. यह देखा जा सकता है कि 2019-20 और जांच की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है और उत्पादकता में सुधार हुआ है।

ज. वृद्धि

89. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि से संबंधित पैरामीटर के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है:

क्रम सं.	**विवरण**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)**
1	उत्पादन	(74)%	620%	31%
2	घरेलू बिक्री	(99)%	2476%	(95)%
3	लाभ/(हानि) - रुपये/किग्रा (पीबीटी)	(202)%	(67)%	(1042)%
4	नकद लाभ - रु / किग्रा	(100)%	665%	65%

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2019-20	पीओआई (ए) (अप्रैल 2020 - जून 2020 को छोड़कर)
5	आरओआई%	(100)%	248%	437%

90. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन, लाभ और आरओआई में सकारात्मक वृद्धि का अनुभव किया है लेकिन घरेलू बिक्री में नकारात्मक वृद्धि का अनुभव किया है।

झ. नए निवेश बढ़ाने की क्षमता

91. एक याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसलिए पाटित आयातों के विरुद्ध संरक्षण आवश्यक है।

क. क्षति मार्जिन का परिमाण

92. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए पीसीएन-वार एनआईपी निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद का एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर और जांच अवधि के लिए कार्यरत लेखाकार द्वारा उन्हें विधिवत् रूप से प्रमाणित करके निर्धारित की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने पीओआई के दौरान फूड ग्रेड ग्लाइसिन का उत्पादन और बिक्री की है। प्राधिकारी ने फूड ग्रेड ग्लाइसिन के लिए एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अधिकांश आयात चीन जन.गण. से आ रहे हैं और वे तकनीकी ग्रेड/औद्योगिक ग्रेड ग्लाइसिन के हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी ने फूड ग्रेड ग्लासिन के सामान्य मूल्य के लिए बिल्कुल सटीक तुलना हेतु उचित समायोजन किए हैं।

93. एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्यय को उत्पादन लागत में शामिल नहीं किया गया है। पीयूसी के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (कर पूर्व @ 22%) को एनआईपी के बराबर होने के लिए पूर्व-कर लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी जैसा कि नियमों के अनुबंध III में निर्धारित है और पालन किया जा रहा है।

94. पहुंच कीमत और ऊपर के रूप में निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

निर्माता/ निर्यातक	एनआईपी (रु/कि.ग्रा)	पहुंच मूल्य (रु/कि.ग्रा)	आईएम (रु/कि.ग्रा)	आईएम (अम.डा/कि.ग्रा)	आईएम %	रेंज
हेबेई हुआंहैन बायोलोगिकल टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	***	30-40
गुआंनगन शेंगिन केमिकल कं, लिमिटेड	***	***	***	***	***	45-55
अन्य सभी	***	***	***	***	***	80-90

ख. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

95. एडी नियम के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता होती है जो घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा रहे हैं या जिससे क्षति होने की संभावना है, जिससे कि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित किए गए आयात के लिए जिम्मेदार न ठहराया जा सके। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या होने की संभावना है। इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते हैं या उनके योगदान करने की संभावना है।

96. सूचीबद्ध ज्ञात कारकों ने क्षति नहीं पहुंचाई है, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है:

क. तीसरे देश से आयात की मात्रा और कीमत

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात नगण्य हैं ।

ख. मांग में संकुचन

98. क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है ।

ग. खपत के पैटर्न में बदलाव

99. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार संबंधी प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

100. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं।

ड. प्रौद्योगिकी का विकास

101. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

च. निर्यात प्रदर्शन

102. प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण में केवल घरेलू निष्पादन के आंकड़ों पर विचार किया है।प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। देश में मांग की दृष्टि से आयातों में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कटौती कर रही है। आयातों की औसत पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। संबद्ध आयातों द्वारा डाले गए कीमत दबाव से घरेलू उद्योग के घरेलू निष्पादन पर दबाव पड़ा है जिससे वास्तविक क्षति हुई है। अत:, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को ऊपर सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से क्षति नहीं हुई है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है।

ट. हितबद्ध पक्षकारों के प्रकटन विवरण पश्चात अनुरोध

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात किए गए अनुरोध

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी ने पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखकर सही किया है।

ii. चूंकि पारस इंटरमीडिएट्स को संबद्ध वस्तु का अपात्र घरेलू उत्पादक माना गया है, इसलिए वर्तमान जांच इसे समाप्त करने के लिए सही मामला है। घरेलू उद्योग का यह दावा कि उसकी संबंधित कंपनी ने संबद्ध वस्तु की मामूली मात्रा का आयात किया है ताकि वह अपने उपभोक्ताओं को स्थाई रूप से न गंवा दें, गलत है और सूचना को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है जो पाटनरोधी जांच के मूल को प्रभावित करता है।

iii. जांच की शुरुआत पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त आंकड़ों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर ही शुरु की गई थी। यदि पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सही तथ्य जांच शुरुआत के समय ज्ञात होते तो कोई पाटनरोधी जांच शुरु नहीं की जाती।

iv. प्राधिकारी से यह पुष्टि करने का अनुरोध है कि परिकलित सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत केवल एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उत्पादन लागत संबंधी सूचना पर आधारित है।

v. हेबईहुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड ने भारत को प्राथमिक रूप से तकनीकी ग्रेड पीसीएन का निर्यात किया है। यदि एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड केवल फार्मा ग्रेड और फूड ग्रेड पीसीएन के उत्पादन और बिक्री में शामिल था तो फार्मा ग्रेड और फूड ग्रेड के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य और एनआईपी को उचित ढंग से समायोजित करना अपेक्षित है। फार्मा ग्रेड और फूड ग्रेड के सामान्य मूल्य और एनआईपी की केवल तुलना और हेबईहुआहेंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य जिसमें तकनीकी ग्रेड शामिल हैं, की तुलना के परिणाम स्वरूप ही उचित तुलना होगी।

vi घरेलू उद्योग भारत बाजार में मांग से बिल्कुल संबंधित नहीं है। इसके बजाए, घरेलू उद्योग पूरी तरह से संबद्ध वस्तु के निर्यात पर केन्द्रित है।

vii. ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग के पास निर्यात बाजार में उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के बाद घरेलू बाजार में मांग को पूरा करने के लिए कोई अधिशेष क्षमता नहीं है।

viii. संयुक्त राज्य, कनाडा आदि को निर्यात बिक्रियां घरेलू उद्योग के लिए तब भी अधिक लाभकारी हैं जबकि घरेलू बाजार में कोई आयात प्रतिस्पर्धा न हो क्योंकि यूएस और कनाडा को निर्यात बिक्री कीमत घरेलू बिक्री कीमत से अधिक है। अमरीका, कनाडा आदि को निर्यात कीमत क्षति रहित कीमत से भी अधिक हो सकती है।

ix. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत क्षति रहित कीमत से अधिक । यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पहले ही तर्कसंगत बिक्री कीमत पर संबद्ध वस्तु बेच रहा है और चीन जन.गण. से आयातों के कारण कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

x. यह ज्ञात है कि अप्रैल, 2020 से जून 2020 की लॉकडाउन अवधि के दौरान भारत में समस्त गैर अनिवार्य आर्थिक कार्यकलाप बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xi. यह अनुरोध है कि चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उनके रिकॉर्डों के आधार पर निर्धारित किया जाए।

xii. संदर्भ कीमत आधारित शुल्क वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क का उचित रूप है और पाटनरोधी शुल्क को 3 वर्ष या उससे कम के लिए अनुशंसित किया जाना चाहिए क्योंकि (i) ग्लाइसिन का प्रयोग भेषज उत्पादों और खाद्य उत्पादों सहित अनेक अनुप्रयोगों में होता है (ii) घरेलू उद्योग घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं है (iii) निर्यात बाजार की मांग पूरी करने के बाद घरेलू उद्योग के पास घरेलू बाजार में आपूर्ति के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है और (iv) घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।

xiii. पूर्व में भी प्राधिकारी ने अनेक जांचों में 5 वर्षों से कम के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

xiv. वर्तमान जांच में चीन की कंपनियों के ब्यौरों को स्वीकार किए बिना पैरा 7 के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अन्ततः चीन ने एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क) (ii) के प्रावधानों को निष्फल कर देगा। अतः विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि पूर्वोक्त प्रावधानों को बनाने वालों का यह इरादा कभी भी नहीं था और यह अनुरोध किया जाता है कि इन प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने के लिए इनकी सही व्याख्या की जाए।

xv. कोई भी क्षति मापदंड वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को क्षति नहीं दर्शाता है। क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बाजार हिस्सा, बिक्री कीमत, लाभप्रदत्ता, नकद लाभ, आरओसीई, मालसूची आदि में सुधार हुआ है।

xvi. तकनीकी ग्रेड के साथ फूड ग्रेड और/या फार्मा ग्रेड की तुलना काफी अधिक कीमत कटौती दर्शा रही है और अविश्वसनीय है।

xvii. यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का ध्यान और फोकस निर्यात बाजार पर है और पीओआई में उनके निर्यातों में 1100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और संबद्ध वस्तु का लगभग पूरा घरेलू उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात किया गया है। वे केवल 1 प्रतिशत की बिक्री घरेलू बाजार में कर रहे हैं।

xviii. घरेलू उद्योग पहले ही एनआईपी से अधिक बिक्री कीमत प्राप्त कर रहा है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ट.2. घरेलू उद्योग के प्रकटन विवरण पश्चात अनुरोध

106. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. वर्तमान जांच के लिए विभिन्न ग्रेडों में पीसीएन को अलग करना जबकि शुद्धता समान है, आवश्यक नहीं है। फूड/फीड ग्रेड ग्लाइसिन के लिए ग्लाइसिन यूएसपी, ग्लाइसिन आई और कोडेक्स मानक, जो फूड/फीड ग्रेड के लिए यूएसपी, आईपी का एक गैर बाध्यकारी मानक है और बिल्कुल समान शुद्धता मानक दर्शाता है। "आईपी" या "यूएसपी" जो "फार्मा ग्रेड" और 'फूड/फीड' ग्रेड हैं, समान शुद्धता के हैं।

ii. विभिन्न "ग्रेडों" को कथित रूप से फार्मा, फीड, फूड या तकनीकी/औद्योगिक ग्रेड में चिन्हित करने के लिए कोई मान्यता प्राप्त बाध्यकारी या अनिवार्य मानक या विनिर्देशन नहीं है। ग्लाइसिन के तकनीकी ग्रेड और अन्य ग्रेडों के बीच लागत में कोई बड़ा या खास अंतर नहीं है।

iii. पारस इंटरमीडिएट् प्राइवेट लिमिटेड से संबद्ध मैसर्स पास्को ट्रेडर्स को उपभोक्ताओं को स्थाई रूप से गंवाने से बचने के लिए ग्लाइसिन की मामूली मात्रा का आयात करना पड़ा था और वे कीमतें क्षतिकारी कीमतें नहीं थी, अपितु बाध्यकारी आयात थे और तद्नुसार उनसे मैसर्स पारस इंटरमीडिएट्स की 'घरेलू उद्योग' माने जाने की पात्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

iv. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की गई आयात की मात्रा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संबंधित आयातक से हुए आयात भारत में मांग तथा संबद्ध देशों से कुल आयातों की तुलना में नगण्य थे। अत: यद्यपि पास्को ट्रेडर्स द्वारा किए गए आयात पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन के 25-30 प्रतिशत हैं और पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की घरेलू बिक्री से काफी अधिक हैं, तथापि यह स्पष्ट है कि उक्त उत्पादक मैसर्स पारस इंटरमीडिएट्स का फोकस आयातों की ओर नहीं गया है और उसने अनुरोध किया है कि उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा समझा जाए।

v. चीन जन.गण. में उत्पादकों द्वारा सृजित क्षमताएं उनकी घरेलू मांग से अधिक हैं और वास्तव में उत्पादक अतरिक्त क्षमता से लदे हुए हैं। चीन का ग्लाइसिन उद्योग अधिक क्षमता वाला है और यह स्थिति अगले कुछ वर्षों में ज्यादा नहीं बदलेगी।

vi भारत बढ़ती मांग के साथ काफी कीमत संवेदी बाजार है और निर्यातकों के लिए उनके उत्पाद के निर्यात हेतु एक आकर्षक और महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है। मांग में वृद्धि की दर चीन जन.गण. से आयात में वृद्धि से मेल खाती है।

vii. आयातों की पाटित कीमतों ने घरेलू उद्योग को लाभप्रद बिक्रियों से रोका है या घरेलू बिक्री पर तर्कसंगत आय से भी रोका है और इनसे घरेलू उत्पादकों में मात्रा प्रतिस्थापन हुआ है, जो कीमत संवेदी है।

viii. भारी कीमत कटौती के कारण घरेलू बिक्री में भारी गिरावट आई है और भारत में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है।

ix. कम और पाटित कीमतों पर आयातों में भारी वृद्धि से घरेलू उद्योग में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है जो अपनी घरेलू कीमतों को लागत में वृद्धि के अनुरूप बढ़ाने में सक्षम नहीं है और इससे घरेलू उद्योग की घरेलू कीमत और लाभ में भारी कमी आई है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

107. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन विवरण पश्चात के अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिकांश दोहराव हैं जिनकी पहले ही इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से जांच और समाधान किया गया है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार कि गए प्रकटन विवरण पश्चात अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत समझे जाने पर उनकी जांच की गई है।

108. इस दावे के संबंध में कि पास्को ट्रेडर्स द्वारा किए गए आयात कुल मांग और भारत में कुल आयात की दृष्टि से मामूली हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए अपने स्वयं के उत्पादन के संबंध में आयातों की मात्रा की जांच करना भी अपेक्षित है ताकि आवेदक के व्यापारिक कार्यकलापों की अनिवार्य विशेष और प्रकृति तथा घरेलू उद्योग की पात्रता निर्धारित की जा सके। वर्तमान मामले में पास्को ट्रेडर्स द्वारा किए गए आयात पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन का 25-30 प्रतिशत है और पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की घरेलू बिक्री से काफी अधिक हैं और इसलिए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना है।

109. इस दावे के संबंध में कि चीन जन.गण. में ग्लाइसिन उत्पादकों के पास अधिक क्षमता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिशेष क्षमता की जांच क्षति की संभावना के आकलन के लिए निर्णायक समीक्षा जांच में विशेष रूप से संगत होती है। प्राधिकारी ने संगत खंडों में इन जांच परिणामों में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की मौजूदगी की विस्तार से जांच की है।

110. इस दावे के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क जांच को पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को बाहर रखने के परिणामस्वरूप समाप्त किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पारस इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को बाहर करने के बावजूद एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पात्र घरेलू उद्योग है और प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि उसके पास घरेलू उद्योग के रूप में अपेक्षित योग्यता है।

111. इस दावे के संबंध में कि परिकलित सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्पादन लागत संबंधी सूचना पर आधारित होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने केवल घरेलू उद्योग एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की सूचना पर परिकलित सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत के निर्धारण हेतु भरोसा किया है।

112. इस दावे के संबंध में कि एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की सूचना पर आधारित फूड ग्रेड ग्लाइसिन के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत को तकनीकी ग्रेड के ग्लाइसिन की निर्यात कीमत और पहुंच कीमत के साथ उचित तुलना हेतु समायोजित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उचित तुलना के लिए समुचित समायोजन किए गए हैं।

113. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग निर्यात बाजार पर केन्द्रित है और उच्चतर कीमतों पर निर्यातों में वृद्धि करता रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति की जांच घरेलू बाजार में उसकी बिक्री पर आधारित है और घरेलू उद्योग के निर्यातों में वृद्धि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित और क्षतिकारी आयातों को उचित नहीं ठहरा सकती है।

114. इस अनुरोध के संबंध में कि लॉकडाउन अवधि के प्रतिकूल प्रभाव के लिए पाटित आयात जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अप्रैल, 2020 से जून, 2020 की अवधि को पहले ही क्षति विश्लेषण हेतु पीओआई से अलग रखा गया है। अत: अन्य ज्ञात कारक के कारण हुए प्रतिकूल प्रभाव के लिए चीन जन.गण. से पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

115. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क को शुल्क के संदर्भ कीमत रूप के आधार पर अनुशंसित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क को उचित माना है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और जनहित

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक जांचों के परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क अथवा किसी अन्य शुल्क को लगाया जाना घरेलू उद्योग जिसे भारत के प्रक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुचित आयातों के परिणाम के रूप में क्षति उठाता रहा है, के लिए समान अवसर स्थापित करना है। पाटनरोधी नियामवली, 1995 यह सुनिश्चित करती है कि लगाए गए शुल्क की राशि वहीं तक सीमित है, जो घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक है। कमतर शुल्क नियम का प्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू उद्योग को कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं हो।

117. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का आम जनता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के प्रभाव का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में इन वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों के लगाए जाने के प्रभाव, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव और व्यापक रूप से आम जनता पर इसके प्रभाव का आकलन किया।

118. यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत किए जाने के बाद, सभी हितबद्ध पक्षकारों से, जिसमें आयातक, प्रयोक्ता और उपभोक्ता शामिल हैं, विचार आमंत्रित किए गए थे। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संघ के लिए प्रश्नावली भी जारी की, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का कोई संभावित प्रभाव शामिल था। यह देखा गया है कि किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संघ ने कोई अनुरोध नहीं किया है अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है, जिसे संगत के रूप में माना जा सके।

119. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि जनहित पर पाटनरोधी शुल्क उपायों के प्रभाव का सामान्य रूप से आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है।

i. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के हित में होगा। ये शुल्क आगे घरेलू उद्योग को क्षति से होने से रोकेंगे और उन्हें संबद्ध देश से निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए समय देंगे।

ii. प्राधिकारी ने उपभोक्ता के दृष्टिकोण से पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है और यह टिप्पणी की है कि यह संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उपभोक्ताओं के हित में होगा कि उनका विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम विश्वसनीय भारतीय घरेलू उत्पादक हो। यह तब संभव है जब घरेलू उत्पादक आयातों के कारण हुई क्षति से उबरने में सक्षम हों। यदि वर्तमान स्थिति को जारी रहने दिया जाता है तब भारतीय घरेलू उत्पादक विदेशी उत्पादकों को घरेलू उत्पादकों की तुलना में बढ़ा हुआ लीवरेज देते हुए आगे क्षति का सामना करेंगे।

ड. निष्कर्ष

120. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि वर्तमान जांच परिणाम में रिकॉर्ड है, की जांच करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

i. एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ से एक पात्र घरेलू उद्योग है। यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संबंध में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद, संबद्ध देश से आयात किए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

iii. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए सकारात्मक और बहुत अधिक पाटन मार्जिन है।

iv. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों में जांच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट को छोड़कर क्षति की जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

v. चीन जन.गण. से भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भारत में खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

vi आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही हैं। पीओआई के दौरान चीन जन.गण. से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

vii. घरेलू उद्योग का घरेलू निष्पादन चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण प्रभावित हुआ है।

viii. चीन जन.गण. से आयात भारतीय बाजार में अधिकांश बाजार हिस्सा कब्जाए हुए हैं जबकि घरेलू उद्योग के पास कुल घरेलू मांग में मामूली हिस्सा है।

ix. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को चीन जन.गण. से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।

x. ऐसे कोई अन्य कारक नहीं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

xi. संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों के हित में यह भी होगा कि विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक विश्वसनीय भारतीय घरेलू उत्पादक हो। यह तभी संभव है जब घरेलू उत्पादक आयातों से हुई क्षति से उबरने में सक्षम हों।

ढ. सिफारिशें

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत करने और इसे पूरा करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और परिणामी क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक है।

122. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो सके। अत: प्राधिकारी संबद्ध देश में उत्पन्न या निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर नीचे तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29224910 और 29224990	ग्लाइसिन	चीन जन.गण.	चीन जन.गण . सहित कोई देश	हेबई हुआहेंग बायो-लॉजिकल टेक्नोलॉजी कं . लिमिटेड	0.74	कि.ग्रा.	यूएसडॉ.
2.	-वही -	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण . सहित कोई देश	गुआनगन चेंगक्सिन केमिकल कं . लि.	0.94	कि.ग्रा.	यूएसडॉ.
3.	-वही -	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण . सहित कोई देश	क्र.सं .1 और 2 में उल्लिखित से इतर कोई उत्पादक	1.39	कि.ग्रा.	यूएसडॉ.
4.	-वही -	-वही-	चीन जन. गण .के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	1.39	कि.ग्रा.	यूएसडॉ.

123. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार से सीमा शुल्क शामिल हैं।

ण. आगे की प्रक्रिया

124. इन अंतिम जांच परिणामों पर आधारित केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2022

FINAL FINDINGS

Case No. (AD-OI-14/2021)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Glycine from China PR

F. No. 6/14/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time-to-time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules' or 'ADD Rules').

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Paras Intermediates Private Limited and Avid Organics Private Limited (hereinafter referred to as "domestic industry" or "applicants" or "petitioners") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), seeking initiation of anti-dumping investigation on the import of Glycine (hereinafter referred as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country"), claiming that dumped imports of subject goods from the subject country are causing material injury to the domestic industry.

2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/14/2021 -DGTR dated 30th September 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic injury.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

   i. The Authority issued a Notification dated 30.09.2021, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the investigation concerning imports of the subject goods from China PR.

   ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in

India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.

iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through their Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available to the other interested parties, wherever requested, through e-mails.

iv. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in China PR, whose details were made available by the applicants, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a. Hebei Donghua Chemical Group
b. Yichang Jinxin Chemical Co., Ltd.
c. Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-Chemical Technology Co., Ltd.
d. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd
e. Henan Hdf Chemical Co., Ltd.
f. Hebei Chuncheng Biological Technology Co., Ltd.
g. Shandong Zhenxing Chemical Industry Co., Ltd.
h. Shijiazhuang Zexing Amino Acids Co., Ltd.
i. Hebei Huayang Biological Technology Co., Ltd.
j. Xinle Huada Chemical Co., Ltd.
k. Zhaocounty Granray Bioproducts Co., Ltd.
l. Jiangxi Ansun Food Ingredients Co., Ltd.
m. Shijiazhuang Shixing Amino Acid Co., Ltd.
n. Nantong Guangrong Chemical Co., Ltd.
o. Suzhou Yotech Fine Chemical Co., Ltd.
p. Hubei Bafeng Pharmaceuticals & Chemicals Co., Ltd.

v. The following producers/exporters from China PR have filed exporter's questionnaire response:

a. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd.
b. Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd.

vi. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations in India whose names and addresses were made available to the Authority and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):

a. Abhiyan Media Pvt. Ltd.
b. Ranbaxy Laboratories
c. Nestor Pharmaceuticals Ltd.
d. Gulbrandsen Technologies (India) P Ltd.
e. Varahi Prama Private Limited
f. Invitrogen Bioservices India P. Ltd.

vii. The following importer/user has filed submissions during the course of the investigation:

a. Uno Vetchem

viii. Foreign producers/exporters and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, are proposed to be treated as non-cooperating interested parties.

ix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority holds to accept the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

x. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties to all the parties participating in the investigation. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing COVID-19 global pandemic.

xi. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2020 – March 2021 (12 months). The injury investigation period will cover the periods 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the POI.

xii. Additional/supplementary information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.

xiii. The Non-injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xiv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG-Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. The same has been relied upon for computation of the volume and value of imports.

xv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all the interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 29.04.2022 which was attended by various parties. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views presented during the oral hearing, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.

xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.

xvii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.

xviii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 9th September, 2022 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these

final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.

xix. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xx. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US$= Rs. 75.22

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

"The product under consideration in the present application is "Glycine". Glycine's International Union of Pure and Applied Chemistry ("IUPAC") name is 2-aminoacetic acid. It is also known as Amino-acetic Acid, 2-aminoethanoic acid (IUPAC systematic), and lycocoll. The scope of this investigation covers "glycine" known by any name. Because glycine is produced at varying levels of purity or grades, it has a number of commercial names based on its level of purity or grade such as crude, industrial, technical-grade, feed-grade, food-grade, U.S. Pharmacopeia- or USP-grade, IP Grade, Food Grade, and pharmaceutical-grade. The scope of this investigation covers glycine of all grades.

Glycine is a typically white material, odourless and sweet in taste. In its dried form, which is the form in which it is ordinarily sold, it is a free-flowing crystalline substance, like salt or sugar. All glycine has the same basic chemical structure.

Product under consideration falls under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. Glycine comes under HS code 29224910. However, the PUC has been imported also under various other HS Codes namely 29224990 etc."

5. During the course of the investigation, Product Control Number (PCN) methodology was proposed by some interested parties for appropriate comparison. Interested parties had also offered their comments with regard to PCN parameters.

6. After considering the submissions of all interested parties, the Authority issued final PCN Methodology in the subject investigation on 20.04.2022 as noted in the following table:

S.no	PCN Parameter	PCN description	PCN Code
1.	Grade	Food Grade	F
2.	Grade	Industrial Grade/Technical Grade	T
3.	Grade	Pharmaceutical Grade	P

7. The Authority had directed all interested parties to file PCN wise information by 02.05.2022.

C.1. Submissions made by the other interested parties

8. The submissions made by the other interested parties are as follows:

i. The decision of the Authority of prescribing PCN methodology in the subject investigation is appropriate. There is a significant price and cost difference between the three grades of PCNs prescribed by the Authority, namely, Food Grade, Industrial/Technical Grade and Pharmaceutical Grade.

ii. Chinese producers are mainly engaged in the production and export of Industrial/Technical Grade glycine. The domestic industry in the subject investigation primarily produces and supplies Food Grade and Pharmaceutical Grade glycine.

iii. Glycine is manufactured and sold in four grades in the subject country, namely: tech-grade (≤98.5%), food-grade (98.5%-101.5%), feed-grade (98.5%-101.5%) and pharmaceutical-grade (99.5%-101.5%). Tech grade with (≤98.5%) cannot be used interchangeably for food-grade, feed-grade, and pharma grade.

iv. Industrial/technical grade glycine is of lower purity and cannot be substituted for higher purity grade glycine such as food grade and pharmaceutical grade glycine. Pharma grade of the product under consideration has higher cost due to higher purity and licensing requirements. Industrial/technical grade cannot substitute pharmaceutical grade or food grade glycine.

v. The claim of the domestic industry that different grades of glycine can be used interchangeably is false. The domestic industry does not claim that technical grade glycine used for metal polishing can be used as pharma grade glycine. We request the Authority to examine if the examples provided by the domestic industry as invoices of different grades sold to the same customer include any example in which technical grade glycine was purchased and used as food grade or pharma grade.

vi. The domestic industry has claimed that non-binding Codex standard shows same purity standards being applicable for USP, IP and food/feed grade. Even if this claim of the domestic industry is accepted entirely without any further examination, it is clear that same standard is not applicable for technical/industrial grade and pharma grade or food grade glycine.

vii. As admitted by the applicants, food grade and pharma grade glycine require not less than 98.5% purity. Technical grade glycine can have purity of less than 98.5% and in that case, it cannot be used interchangeably for food-grade, feed-grade, and pharma grade.

viii. Lower purity grade, eg. Industrial/Technical grade cannot be used as a substitute for higher purity grade, eg. Pharma grade. The applicants are comparing food-grade, pharmaceutical grade involving purification process and higher costs with low purity industrial/technical grade imports into India. This will depict high dumping margin and injury margin leading to higher rate of anti-dumping duty.

ix. Exports of Hebei Huaheng primarily comprise of Industrial/Technical grade glycine. This is in contrast to the domestic industry which primarily produces and supplies food and pharmaceutical grade glycine. Thus, the Authority should undertake a PCN wise comparison for determining dumping margin and injury margin in the subject anti-dumping investigation.

x. The domestic industry has not provided any PCN based information or evidence in its submissions.

xi. The applicants must furnish documentary proof including detailed independent NABL accredited laboratory reports to show that the glycine manufactured by them can be compared to the quality of the different grades that is currently being imported from China PR. The applicants must show that the specifications of their product match with that of the Chinese origin products including but not limited to the mesh size, assay, heavy metals, chlorine content, sulphate content and loss on drying.

C.2. Submissions made by the domestic industry

9. The submissions made by domestic industry are as follows:

i. The Authority at the stage of initiation of the subject investigation has rightly noted that the scope of this investigation covers "glycine" known by any name. Glycine is produced at varying levels of purity or grades and therefore has a number of commercial names based on its level of purity or grade such as crude, industrial, technical-grade, feed-grade, food-grade, U.S. Pharmacopeia- or USP-grade, IP Grade, Food Grade, and pharmaceutical-grade. The scope of this investigation covers glycine of all grades.

ii. All glycine grades have the same basic chemical structure. Both glycine producers and customers do not perceive glycine that meets certain purity standards to be distinguishable.

iii. Several customers use glycine of same purity levels from different sources interchangeably. The domestic industry has submitted invoices of different grades sold to the same end customer. This establishes that end-users of subject goods use different grades of glycine interchangeably. All grades of subject goods are both technically and commercially substitutable.

iv. There is no recognised standard or specifications demarcating the alleged grades of the subject goods into categories such as pharma, feed, food or technical/industrial grade. The domestic industry uses the same production facilities and processes to produce glycine which may have different purities. Certain level of purities in the subject goods may require additional purification steps that are not applicable to glycine of other purity levels.

v. The domestic industry has submitted monograph for Glycine USP, Glycine IP and Codex Standard for Food/Feed grade glycine. All the non-binding standards for glycine prescribe the same purity standards. Therefore, it is clear that in case the production unit avails certification from the designated agency, it can term itself as 'IP' or 'USP' or 'food/feed' grade with same purity standard.

vi. There is no mandatory standard, certification of purity prescribed under law or by an industry body for 'technical grade' glycine.

vii. There is no significant difference in cost between 'technical' grade and other grades of glycine. Glycine with higher impurities is called technical grade in common parlance. However, technical grade glycine is substitutable with other grades and varieties depending on the end-customers' requirements. End-customers do not distinguish or discriminate between purity levels. End-customers interchangeably use all forms of glycine.

viii. The subject goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the China PR to India. The PUC produced by the domestic industry is comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the AD Rules for the purposes of the subject anti-dumping investigation.

ix. The PCN categorization as undertaken by the Authority in the subject investigation has no relevance or economic significance. In this context, it is submitted that the grades sold by the domestic industry are technically and commercially substitutable inter se.

x. Both the participating exporters, Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. and Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd. have not filed any specific request for PCN categorization post initiation of the subject investigation. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. has not provided any PCN wise information or evidence in its Exporter Questionnaire Response. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. in its Exporter Questionnaire Response has stated that there is "significant price and cost difference" between the grades.

C.3. Examination by the Authority

10. The Authority notes that product under consideration is produced and sold in various grades such as crude-grade, industrial-grade, technical-grade, feed-grade, food-grade, U.S. Pharmacopeia- or USP-grade, IP Grade, Food Grade, pharmaceutical-grade etc.

11. During the investigation, the Authority prescribed PCN methodology in the subject investigation based on three main categorizations of grades, namely, industrial/technical grade, food grade and pharma grade. The Authority took into account the difference in end use, cost of production, production process and sale price of different grades for determining the PCN methodology.

12. The domestic industry has claimed that there is no requirement of adopting PCN methodology because different grades of glycine are comparable in terms of their cost and prices. The domestic

industry has also claimed that different grades of glycine can be used interchangeably.

13. The Authority notes that the domestic industry has not contested that technical grade glycine can be of lesser purity (≤98.5%) and that such technical grade glycine cannot be used in place of food grade glycine or pharmaceutical grade glycine. The Authority also notes that food grade and pharmaceutical grade should meet higher purity requirement, which means that glycine has to undergo further quality testing to meet individual customer specifications. Therefore, higher purity glycine will result in higher cost of production and higher selling price as compared to technical grade glycine. The invoices submitted by the applicants also show that the selling price of higher purity grades (food grade/pharmaceutical grade) is much higher as compared to the selling price of technical/industrial grade. In such a situation, PCN methodology is appropriate for undertaking apple to apple comparison between different grades of the PUC. Therefore, the Authority confirms the PCN methodology prescribed vide notice dated 20 April 2022.

14. There are no claims by any interested party regarding the exclusion of any grade or product type from the scope of the PUC. Thus, the Authority confirms the scope of the PUC as follows:

"The product under consideration in the present case is 'Glycine'. Glycine's International Union of Pure and Applied Chemistry ("IUPAC") name is 2-aminoacetic acid. It is also known as Amino-acetic Acid, 2-aminoethanoic acid (IUPAC systematic), and lycocoll. The scope of this investigation covers "glycine" known by any name. Because glycine is produced at varying levels of purity or grades, it has a number of commercial names based on its level of purity or grade such as crude, industrial, technical-grade, feed-grade, food-grade, U.S. Pharmacopeia- or USP-grade, IP Grade, Food Grade, and pharmaceutical-grade. The scope of this investigation covers glycine of all grades.

Glycine is a typically white material, odourless and sweet in taste. In its dried form, which is the form in which it is ordinarily sold, it is a free-flowing crystalline substance, like salt or sugar. Glycine of food grade and pharmaceutical grade should meet higher purity level whereas Glycine of technical grade can be of lower purity level. Glycine of lower purity grade cannot be used in applications for which Glycine of food grade and pharmaceutical grade is required.

Product under consideration falls under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. Glycine is classified under HS code 29224910. However, the PUC has also been imported under HS Code 29224990."

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by other interested parties

15. The submissions made by the other interested parties are as follows:

i. The domestic industry in Annexure 10 of its petition notes that Kumar Industries is the only other Indian producer of the subject goods. The domestic industry in its petition notes that the production quantity of Kumar Industries is *** MT for each year during the investigation period. The petition also notes that Kumar Industries is involved in imports into India through related importer.

ii. The United States in its countervailing duty investigation against exports of Glycine from India has identified Kumar Industries as the biggest producer/exporter from India to the United States.

iii. It is unlikely that Kumar Industries is involved in substantial imports through related importers. This is contradictory to the observation of the USDOC wherein it is noted that Kumar Industries is the biggest exporter of the PUC to the United States.

iv. The amount or range of imports made by Kumar Industries through its related importers have not been shared by the domestic industry.

v. The Authority should carefully examine the claim of the domestic industry that Kumar Industries is not an eligible domestic producer. As per Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, Authority has the

discretion to decide if the producer in India, who is also an importer of the subject goods or is related to importer or exporter of subject goods, should be considered as eligible domestic industry.

vi. The applicant producer, Paras Intermediates Pvt., Ltd. has imported the subject goods through its related firm in the POI. Paras Intermediates has not provided declarations of imports for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20. Furthermore, the company has not provided any declarations for imports made from countries other than China PR. In light of these facts, Paras Intermediates Pvt., Ltd. cannot be considered to be part of the domestic industry.

vii. The Authority should re-evaluate the claim of the domestic industry regarding exclusion of Kumar Industries on one hand and inclusion of Paras Intermediates Pvt. Ltd. as domestic industry on the other – who are otherwise similarly placed.

viii. The domestic industry has not provided details of the type of the grade imported by them and the reason for imports. There are three grades of the subject goods, i.e., pharmaceutical grade, food grade and technical grade. The domestic industry has claimed that it manufactures all grades of the subject goods. The need for imports of the subject goods is not clear.

ix. The petition has noted that the share of imports made by Paras Intermediates Pvt. Ltd. is less than 5% of the total demand in India. The Authority should examine the imports made by Paras Intermediates in light of total imports into India. If Paras Intermediates Pvt. Ltd. has imported more than 3% of total imports, then it should be excluded from the purview of the domestic industry.

x. The recent United States notice dated 22 January 2022 imposing countervailing duty on exports of Glycine from India has identified the following additional entities as exporters of Glycine from India during the period of September 2018 to December 2019 apart from the applicants and Kumar Industries:

a) Mulji Mehta Enterprise

b) Mulji Mehta Pharma

c) Rudraa International

d) Studio Disrupt

xi. The Authority should verify if these entities are also involved in the production of Glycine and if their total production has been taken into account for determining the major proportion.

D.2. Submissions made by the domestic industry

16. The submissions made by the domestic industry are as follows:

i. The Authority has rightly included M/s. Paras Intermediates Private Ltd. within the scope of the 'domestic industry' at the time of initiation of the subject anti-dumping investigation.

ii. As per the judgment of the Hon'ble Guwahati High Court in the case of *Century Plyboards (I) Limited vs. Union of India & Ors*, it is submitted that the Authority has the discretion to include the producers who are importer(s) themselves or are related to exporters or importers of the dumped article within the meaning of 'domestic industry'.

iii. M/s. Pasco Traders, affiliate of Paras Intermediates Private Limited was forced to import minor quantities of Glycine to avoid permanently losing customers. The total volume of imports was less than 5% of the total demand and total imports into India. The imports made by the related importer are negligible in comparison to demand in India and total imports of the subject goods from China PR.

iv. There is no basis or principle under the Anti-dumping Rules for exclusion of M/s. Paras Intermediates on the basis of any alleged 3% benchmark and this submission ought to be summarily dismissed.

v. Kumar Industries is also a producer of the subject goods in India. The company has requested for its non-inclusion in the subject investigation as it is involved in imports of the product under

consideration through its related importers on a large scale. The application initiating the subject investigation has provided production details of all the known domestic producers including Kumar Industries. Kumar Industries has not expressed support or opposition to the petition.

vi. Entities identified by the respondent, namely, (i) Mulji Mehta Enterprise (ii) Mulji Mehta Pharma (iii) Rudraa International and (iv) Studio Disrupt are exporters of the subject goods. These companies are not producers of the subject goods.

vii. Even upon including the production quantities of Kumar Industries, the applicants constitute a major proportion of the total production of Glycine in India.

D.3. Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines Domestic Industry as under:

"(b) "Domestic Industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'Domestic Industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

18. In their application, the applicants have identified three producers of the subject goods in India namely, (i) Paras Intermediates Private Limited, (ii) Avid Organics Private Limited and (iii) Kumar Industries. The domestic industry has claimed that Kumar Industries is not an eligible domestic producer considering large scale imports undertaken by Kumar Industries through its related entities.

19. The other interested parties have claimed that Paras Intermediates Private Limited as well as Kumar Industries have imported subject goods from China PR and therefore if Paras Intermediates Private Limited is considered as eligible domestic producer than Kumar Industries should also be considered as eligible domestic producer and standing of the domestic industry should be determined after considering the production quantity of Kumar Industries in the total Indian production.

20. The Authority has examined the imports of the subject goods made by Pasco Traders, who is an affiliate of Paras Intermediates Private Limited during the period of investigation. The Authority notes that Pasco Traders has imported approximately *** MT of subject goods during the period of investigation. The production and domestic sales of Paras Intermediates Private Limited during the period of investigation are *** MT and *** MT respectively. Accordingly, it is noted that the imports made by Pasco Traders is in the range of 25-30% of production of Paras Intermediates Private Limited and much higher than domestic sales of Paras Intermediates Private Limited. In view of such significant imports of subject goods by related company of Paras Intermediates Private Limited, the Authority does not consider Paras Intermediates Private Limited as an eligible domestic producer of subject goods in terms of Rule 2(b) of the Anti- dumping Rules.

21. With regard to the submission that the production quantity of Kumar Industries cannot be of *** MT and the actual production quantity of Kumar Industries should also be taken into consideration for determining whether both the applicant domestic producers constitute major proportion share in the domestic industry or not, the Authority notes that Kumar Industries is a known producer of the subject goods in India. The domestic industry has also disclosed in its application that Kumar Industries is a known producer of subject goods. However, Kumar Industries has refrained from participating in the investigation and has also not provided any information regarding its total production. It is not contested that Kumar Industries is also involved in imports of the subject goods through its related importers on a large scale.

22. Considering that Kumar Industries has refrained from providing any information and that it is involved in significant imports of PUC through its related importers, the Authority holds that Kumar Industries is not an eligible domestic producer of subject goods in terms of Rule 2(b) of the Anti-

dumping Rules. The Authority holds that Avid Organics Private Limited is the eligible domestic producer having 100% share in total domestic production in India and therefore constitutes as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules and the application filed by the applicants satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the other interested parties

23. The submissions made by the other interested parties are as follows:

i. The non-confidential version of the petition of the domestic industry is not a replica of the confidential version. This is in contravention to Trade Notice 01 of 2013.

ii. The Designated Authority is required to examine whether claim of confidentiality is warranted or not. In case the Designated Authority is not satisfied with the claim of confidentiality then it may request for disclosure of such information.

iii. The domestic industry has claimed excessive confidentiality with respect to the following parameters:

(a) Details of production volume of the applicants and other Indian producers

(b) Source of information of the production of other domestic producers

(c) Aggregate data of production by all other producers

(d) Details of total domestic production in India

(e) Share of applicant producers and other producers in the total domestic production

(f) Ranges of percentage share held by other domestic producers in the total domestic production

(g) Details of imports including grade of subject goods imported by related firm of Paras Intermediates

(h) Signed declarations for imports by the applicants and for their relationship with the importers or exporters of the subject goods

(i) Details of normal value and PCN-wise normal value

(j) Actual figures of demand

(k) Percentage share of range of imports in comparison to domestic production

(l) Write-up on broad stage-wise manufacturing process

(m) Names of major raw materials used in the production of the PUC

(n) Costing information

(o) Profit/loss and ROCE in percentage terms

(p) Price underselling and injury margin

(q) Adjustment from export price for ocean freight, marine insurance, port expenses, inland transportation, commission, bank charges and VAT has been claimed by the domestic industry. However, no evidence with regard to the aforesaid adjustments claimed have been provided by the domestic industry for adjustments except for ocean freight. The ocean freight details are also highly exaggerated.

(r) The applicants have only provided a statement with respect to imports from China PR in the POI. No details/declarations for imports made during the previous 3 years 2017-18, 2018-19, 2019-20 have been provided. Similarly, no details/declaration for the imports made by them have been provided for imports from countries other than China PR.

E.2. Submissions made by the domestic industry

24. The submissions made by domestic industry are as follows:

i. M/s. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd and M/s. Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd have not provided meaningful summaries of confidential information in their non-confidential response.

ii. M/s. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd has claimed excessive confidentiality in violation of the requirements of Rule 6 of the Anti-dumping Rules by not providing summaries of the following information:

(a) Names of shareholders and affiliations

(b) Production process

(c) Major raw materials

(d) Accounting principles

(e) whether the raw materials and utilities consumed for production are purchased or captively produced by the company

(f) Information on imported raw material, the country of origin and names of its suppliers

(g) Appendices

(h) Financial Statements

iii. M/s. Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd. has claimed excessive confidentiality in violation of the requirements of Rule 6 of the Anti-dumping Rules by not providing summaries of the following information:

(a) Product List

(b) Shareholder List

(c) Business License

(d) Legal Structure

(e) Financial Statements

(f) Appendices

E.3. Examination by the Authority

25. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

(1)"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

26. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. All interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

27. The Authority notes that the domestic industry and the other interested parties have provided non-confidential version of all the information that is relevant for the purpose of present investigation.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made by the other interested parties

28. The miscellaneous submissions made by the other interested parties are as follows:

i. Glycine is an important ingredient used in essential and life-saving industries such as pharmaceuticals, agriculture and food and animal feed. The Authority should verify if the domestic industry has the capacity to meet the demand in the Indian market prior to recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Glycine from China PR.

ii. India is one of the largest exporters of pharmaceutical intermediates and animal feed supplements. Glycine is the main raw material in many pharmaceutical intermediates, nutritional products and feed supplements. Increase in the price of Glycine would make India non-competitive as compared to the rest of the world for these products.

F.2. Submissions made by the domestic industry

29. The applicants have not made any miscellaneous submissions during the course of the subject investigation.

F.3. Examination by the Authority

30. With regard to the submission that Glycine is used in essential and life-saving medicines and that domestic industry may not have capacity to meet the entire demand in India, the Authority notes that gap between total demand and capacity of the domestic industry cannot justify dumping of the subject goods into India. The Authority also notes that anti-dumping duty on import of the subject goods is levied to remedy unfair competition between dumped imports and domestic production. Anti-dumping duty in any case does not prohibit imports of the subject goods into India.

31. With regard to the submission that Glycine is a raw material used in the production of export products and imposition of anti-dumping duty on Glycine will make exports unviable, the Authority notes that if Glycine is used in the production of export products, then the exporter can avail benefit under the export promotion programs such as advance authorisation scheme to have exemption from levy of anti-dumping duty on the imports of raw material.

G. Determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin

32. As per Section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under

sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.1. Submissions made by the other interested parties

33. The submissions made by the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

(i) The Authority should consider the information filed by the producers / exporters in the Exporter Questionnaire Response for determining dumping margin.

(ii) Article 15 of China's Accession Protocol expired in December 2016 and now presumption of non-market economy is not automatic. Therefore, there is no provision which enables the Authority to consider that the Chinese producers are operating under non-market economy conditions and disregard their domestic prices and costs. The normal value for the Chinese producers should be determined on the basis of their domestic prices and cost of the subject goods.

(iii) The normal value for producers / exporters from China PR should be based on their records without following any additional procedure.

(iv) The normal value computed by the domestic industry in its petition cannot be accepted. Normal value for producers/exporters from China PR should be determined on the basis of their domestic sales and cost of the subject goods.

(v) The domestic industry has not determined normal value for the subject goods from China PR as per the procedure prescribed in Para. 7 of Annexure I of AD Rules. The methodology of relying upon the Indian costs and prices is to be followed only when it is not possible to construct the normal value on the basis of the alternatives prescribed in the opening sentence of Para 7.

(vi) The domestic industry has failed to identify a market economy third country for determination of normal value. Only where it is not possible to obtain necessary data from such third country, the normal value can be determined on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.

(vii) The domestic industry is under an obligation to inform, without unreasonable delay, the selection of market economy third country so as to give the parties concerned an opportunity to respond to the same.

(viii) At the time of initiation of the subject investigation, the Applicants proposed that normal value may be taken from the following three options:

(a) Exports from Japan to USA

(b) Exports from India to Canada

(c) Exports from India to USA

(ix) This proposal of the domestic industry was rightly rejected by the Authority in its initiation notification for absence of proper justification. The Authority in its initiation notification noted that the normal value for China PR has been constructed on the basis of cost of production of like article of the domestic industry and the selling, general and administrative expenses along with reasonable addition for profit.

G.2. Submissions made by the domestic industry

34. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

(i) Domestic price and cost of producers/exporters from China PR cannot be considered unless they can demonstrate that the costs and domestic prices are appropriate and reasonably reflect the costs and price of the product under consideration.

(ii) China PR should be treated as a non-market economy. Normal value for subject goods from China PR should be determined in accordance with Para. 7 of Annexure I of the AD Rules. Producer/exporters claiming market economy treatment are required to establish that they are operating under market economy conditions for their costs and prices to be considered.

(iii) As per para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporters from China PR provide information and sufficient evidence and establish to the contrary. In doing so, the Authority must consider the following criteria:

a) Whether the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant state interference in this regard;

b) Whether the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

c) Whether such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and

d) Whether the exchange rate conversions are carried out at the market rate

(iv) None of the producers participating in the present investigation, have duly filed the questionnaire response required for establishing market economy treatment. Further, both exporters cannot be granted market economy treatment and their costs and domestic prices must not be considered for determination of normal value.

(v) The product under consideration is produced in USA, India, Thailand, Japan and China PR. The applicants have attempted to procure evidence of domestic price of subject goods in China PR. Additionally, there is no verifiable evidence of the actual selling price of the subject goods in Japan and US. The applicants could not determine normal value based on actual selling price in the US as a market economy third country.

(vi) The applicants made efforts to collect relevant information regarding cost of production in Japan and US. However, there is no published information available about the same. The applicants could not determine normal value based on cost of production in a market economy third country.

(vii) Normal value in China PR has been estimated on the basis of price from market economy third countries viz; Japan and India to market economy third countries USA and Canada, as the same passes the test of Annexure-1, Para 7.

(viii) The petitioners have also considered export price from Japan to USA with relevant adjustments as normal value. Japan is the biggest source for the importers in USA (excluding India). Therefore, the most appropriate comparison for price prevailing in the domestic market of USA can be derived from export price from Japan, since the volumes exported to the concerned market are representative in nature. The import price into USA from Japan and India and the export price from India and Japan to USA reasonably reflects normal value in accordance with provisions of para-7 of Annexure-1.

(ix) Imports from these countries are being made for the same application. The goods represent like articles to such an extent that these are almost identical in all essential product properties. Since these prices are CIF prices, and the export price is ex-factory, the price has been adjusted for expenses such as freight, insurance, bank charges and inland freight, etc. for calculating normal value on ex-factory basis. Best efforts were made for adjustments and evidence for estimation for freight etc. has also been provided Considering normal value on this basis, the dumping margin has been determined in respect of imports from China PR.

(x) Alternatively, India can be considered as the market economy third country. India is one of the biggest destinations for the importers in USA and Canada, which are also market economy countries. Therefore, the most appropriate comparison for price prevailing in domestic market of India can be derived from export price to USA and Canada, since the material, quantities, grades, and prices of the volumes exported to the concerned markets are representative in nature.

G.3. Examination by the Authority

35. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from China PR, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from China PR have filed exporter's questionnaire response:

i. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd.

ii. Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd.

36. The Authority has analyzed the submissions made by the interested parties including domestic industry and has accordingly determined the normal value, export price and dumping margin.

37. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

a. In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

i. If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

b. In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China PR may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China PR.

c. *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

d. *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.*"

38. The Applicants have relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I of AD Rules. The Applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of paras. 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.

39. It is noted that while the provision contained in Article 15(a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

40. The Authority notes that none of the cooperating producer/exporter from China PR have filed a supplementary questionnaire.

41. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules, which reads as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the Country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments. "

42. The Authority notes that under the provisions of para (7) of Annexure I, the normal value may be determined on the basis of price or constructed value in a third country, or the price from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.

43. The Authority notes that the normal value could not be determined on the basis of prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country as the relevant information relating to price or cost for a market economy third country has neither been made available by the applicants nor by any other interested party, nor is it available with the Authority from any public source.

44. The Authority also notes that the normal value cannot be determined based on export prices from a third country to other countries because the information provided by the domestic industry regarding export price from Japan to USA is an average export price of total exports from Japan to USA. Export price from Japan to USA based on PCN prescribed by the Authority is not made available to the Authority. Moreover, the export price information provided by the domestic industry is from Japan to USA and not from Japan to third countries generally as required under provisions of para (7) of Annexure I. Information regarding segregation of exports from Japan to USA PCN-wise is also not available with the Authority.

45. Moreover, in the report submitted by the domestic industry regarding Glycine production and market in the world, it is noted that the production in China PR is primarily of technical/industrial grade as opposed to the situation in other countries producing Glycine. The Authority has also noted that imports into India from China PR is primarily of technical/industrial grade.

46. The Authority has also noted in the initiation notice that no proper justification has been provided for considering export price from Japan to USA as the basis for normal value. Apart from stating that Japan is the major source of supply for importers in USA, the domestic industry has also not provided any supporting information during the course of investigation to substantiate the use of prices from Japan to USA as the basis for normal value.

47. Regarding the claim that price from India to Canada and/or USA can be considered as the basis of normal value, the Authority notes that of para (7) of Annexure I does not permit determination of normal value based on export price from India to third countries.

48. Therefore, the Authority notes that no reliable information is available regarding price from market economy third country to other countries and accordingly the Authority holds to construct the normal value for China PR on the basis of cost of production of domestic industry along with reasonable addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin. The Authority notes that Avid Organics Private Limited has manufactured and sold food grade glycine during the POI. The constructed normal value determined by the Authority based on the cost of production of Avid Organics Pvt. Ltd. is for food grade Glycine. Majority of imports coming into India from China PR are of technical grade/industrial grade Glycine. Accordingly, the Authority has made appropriate adjustments to the normal value of food grade Glycine for ensuring apple to apple to comparison.

G.3.1. Export Price

Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd.

49. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR. It has exported the subject goods directly to unrelated customers in India. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. has provided all the relevant information in the prescribed questionnaire formats.

50. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. has given PCN wise information for exports of the subject goods to India in Appendix 3A of the Exporters questionnaire response. It is noted that Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. has exported *** MT of subject goods to India during the POI. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. has claimed adjustments on accounts of ocean fright, insurance, Inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost, which have been allowed by the Authority.

51. The Authority has verified the PCN wise information of the exports given in the questionnaire response filed by producer/exporter. The weighted average PCN wise ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd.

52. Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR. It has exported the subject goods directly to unrelated customers in India. Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd. has provided all the relevant information in the prescribed questionnaire formats.

53. Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd. has given PCN wise information related to exports of subject goods to India in Appendix 3A of the Exporters questionnaire response. It is noted that Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd. has exported *** MT of subject goods to India during the POI. Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd. has claimed adjustments on accounts of ocean fright, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost, which have been allowed by the Authority.

54. The Authority has verified the PCN wise information of the exports given in the questionnaire response filed by producer/exporter. The weighted average PCN wise ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

G.3.2. Export Price for all other producers and exporters

55. The export price for all other non-cooperating producers and exporters from China PR is proposed to be determined as per facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping Margin

56. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin for producers/exporters from China PR is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules.

DUMPING MARGIN TABLE

Producer/Exporter	Normal Value (INR/KG)	NEP (INR/KG)	Dumping Margin (INR/KG)	Dumping Margin (USD/KG)	Dumping Margin %	Range
Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd	***	***	***	***	***	50-60
Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	***	75-85
All Others	***	***	***	***	***	105-115

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMIINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

57. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles... ".* In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

58. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules.

H.1. Submissions made by the other interested parties

59. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury suffered by the domestic industry and the causal link:

i. The claims of the domestic industry that it is forced to export is incorrect and is not supported by facts on record. The domestic industry is earning profits on its export sales in 2019-20 and the POI.

ii. The export sales to United States, Canada etc. is more lucrative even if there is no import competition in the domestic market because export sales price to US and Canada is higher than the NIP i.e. ideal selling price of the domestic industry. Estimated NIP of the domestic industry is lower than the export price of 300-340 INR/KG. Therefore, the domestic industry will first utilize its capacity to meet the demand in the export market as it is more remunerative. Exports of the domestic industry have also increased substantially during the injury investigation period and increase in capacity is also used to increase export volumes.

iii. The Authority should examine if there is any capacity available with the domestic industry to take care of the demand in the domestic market, after meeting the demand in the export market The domestic industry's primary focus is on export market and the domestic industry will meet the demand in export market first before supplying to the domestic market.

iv. Despite increase in domestic demand, the domestic industry has focused on the export market.

v. Latest information regarding duties (Anti-dumping duty and countervailing duty) imposed by the United States since 2021-2022 on import of Glycine from India shows that it is higher on imports from Kumar Industries (17.36%) as compared to the imports from applicant domestic producers comprising of Paras Intermediates Pvt. Ltd. (11.36%) and Avid Organics Pvt. Ltd. (5.16%). This has further created possibilities of increase in exports to the United States for the applicant domestic producers as its biggest competitor from India in the US market is facing much higher rate of duty.

vi. The Authority should examine if decline in domestic sales and other related parameters are self-inflicted.

vii. Price undercutting is unrepresentative for exports made by China PR. Exports from China PR are primarily of technical/industrial grade whereas the domestic sales of domestic industry are primarily of food-grade and pharmaceutical grade. Food grade and pharmaceutical grade of the subject goods involve purification process and involve higher costs as compared with low purity industrial/technical grade imports into India.

viii. Absence of causal link between imports and injury to the domestic industry in domestic market is also evident from the lack of correlation between the price undercutting and profitability. The price undercutting in 2019-20 and the POI were at highest in the injury investigation period. However, the domestic industry experienced decline in losses in both these years as compared to previous two years when price-undercutting was lower.

ix. The information provided in the petition in proforma IV-A shows different cost of sales for domestic sales and export sales. Cost of sales per unit for domestic and export sales of the PUC are expected to be more or less in the same range and should move commensurately. It is not clear why cost of sales per unit for domestic sales increased significantly in the POI but declined in case of export sales.

x. Higher cost of sales per unit for domestic sales during the POI would result in a higher NIP for the domestic industry. The Authority should examine whether allocation of expenses among domestic sales and export sales are done appropriately in the POI or if higher expenses are booked for domestic sales without any proper justification.

xi. With regard to the claims of threat of injury, it should be noted that the Authority has not initiated investigation to examine the claim of domestic industry regarding threat of injury. The initiation notice

only notes that there is prima facie evidence regarding actual injury to the domestic industry. Thus, there cannot be any further investigation regarding the claim of the domestic industry with regard to the threat of material injury.

xii. With regard the claim that Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd has added production capacity of *** t/a and that total capacity of Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd is *** MT, it is submitted that the claim of the domestic industry is incorrect. Total capacity of Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd is *** MT per annum since January 2018. The respondent producer/ exporter has also not added any capacity as claimed by the applicants. The respondent requests the Authority to rely on the actual information of the respondent.

xiii. The selling price of the subject goods by Chengxin has significantly increased from the base year in 2018-19 to the POI. Furthermore, Chengxin has increased its sales in its domestic market and other countries as opposed to exports to India from 2018-19.

xiv. The performance of the domestic industry during the POI would have been impacted the most during April 2020 to June 2020 when a strict lockdown was imposed pan India. Any assessment of the injury or likelihood of injury cannot be carried out based on the POI as defined in the Initiation Notification.

H.2. Submissions made by the domestic industry

60. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are as follows:

i. Imports of subject goods from China PR have significantly and consistently increased over the injury period in absolute as well as in relative terms to the production and sales of the domestic industry.

ii. Imports of subject goods from China PR into India have increased to 98% of the total imports into India at significantly low prices. There are no imports from any country other than China PR in the entire injury investigation period.

iii. The demand of the subject goods has consistently increased throughout the injury period, however, the significant increase in dumped imports has engulfed the demand in India. There is a decline in domestic sales of the domestic industry despite increase in demand for the subject goods.

iv. The import prices from the subject country have been significantly below the selling prices of the domestic industry resulting in positive and significant price undercutting. The landed price of the imports from China PR has declined and the volume of dumped imports from China PR has increased and level of price undercutting has increased by almost 100% in the injury period.

v. The domestic industry has not been able to increase its net selling price during the present POI commensurate with the increase in costs. The landed price of the imports significantly declined in the POI whereas the costs increased. Clearly, the dumped imports caused severe price suppression and price depression to the domestic industry and adversely impacted the domestic industry.

vi. On account of significant injury margin, the domestic industry is not able to achieve reasonable returns in the domestic market and have lost significant market share in the Indian demand.

vii. The questionnaire responses submitted by the cooperating exporters from China PR demonstrate increase in volume of exports and decline in selling price. There is a significant increase in exports at extremely low dumped prices from the allegedly co-operating exporters and this reinforces the claim of injury of the domestic industry.

viii. The domestic industry has increased its capacity over the injury investigation period to cater to the increasing demand for the subject goods in India. However, on account of incessant dumping of the subject goods from China PR, the domestic sales of the domestic industry significantly declined in the POI.

ix. The market share of China PR has increased from ***% to ***% in the POI and at the same time the market share of the domestic industry has declined from about ***% to about ***% in the POI.

x. The profitability of the domestic industry was severely affected in the POI due to dumped imports from the subject country. Dumped imports from the subject country has forced the domestic industry to sell at depressed prices, which is lower than the cost of production.

xi. The productivity of the domestic industry has shown decline over the injury investigation period.

xii. The average inventory with the applicants has increased significantly in the period of investigation.

xiii. Growth of the domestic industry has been negative in almost all injury parameters in the POI. The domestic sales have declined, and profits, cash profits and return on capital employed, all witnessed negative growth in the injury period on account of the significant voluminous dumped imports from China PR.

xiv. The dumping margin for China PR is significantly greater than de-minimis levels and is substantial in the POI and throughout the injury period.

xv. With the decline in profitability, the ability of the applicants to raise capital has weakened.

xvi. There is significant overcapacity for the subject goods in China PR. During 2014-2016, the national capacity of glycine grew by 100,000 t/a every year.

xvii. The domestic industry has relied upon the Report titled "Production and Market of Glycine in China" by CCM Data & Business Intelligence, Kcomber Inc., Seventh Edition (March 2018) ("CCM Report"). The CCM Report clearly exhibits that in China PR, overall glycine production capacity increased from *** metric tons in 2015 to *** metric tons in 2017. At the same time, China's glycine production utilization rate was extremely low and increased only slightly from *** percentage points in 2015 to *** percentage points in 2017.

xviii. As per CCM Report, producers and exporters have significant freely disposable production capacities. India is an extremely price sensitive market with a growing demand, hence is an attractive and important export destination for the exporters to orient their exports to India. This can also be seen from the rate of increase of demand by 140 pts which aligns with the increase in imports from China PR into India which has also increased by about 100% in the POI at extremely dumped low prices. In the event of non-imposition of anti-dumping duty, the exporters are extremely likely to utilize these significant idle capacities for exporting to India.

xix. There is no basis to substantiate the claim that exports are more remunerative considering the huge export related expenses, duties and selling and marketing expenses as well as commissions paid for exports.

H.3. Examination by the Authority

61. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.

62. The Authority has taken note of the arguments and counterarguments of all the interested parties with regard to the injury to the domestic industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

63. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such

articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

64. With regard to the submission that 1st April 2020 – 31st March 2021 (12 months) is not representative due to the effects of Covid-19, the Authority holds to exclude the lockdown period of April 2020 to June 2020 in its injury examination so that the injury, if any, caused to the domestic industry due to lockdown in India is not attributed to the dumped imports from the subject country.

H.3.1. Volume Effect of dumped imports and impact on Domestic Industry

a. Assessment of Demand/ Apparent Consumption

65. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from the DGCI&S and DG-Systems. Demand or apparent consumption has been determined as the sum of domestic sales of all the domestic producers and the imports from all the countries.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Imports from China PR	MT	3,146	3,525	5,436	5,085	6,780
Trend	Indexed	100	112	173	162	215
Imports from Other Countries	MT	14	12	8	8	11
Trend	Indexed	100	86	59	59	79
Total Imports	MT	3,160	3,536	5,444	5,093	6,791
Trend	Indexed	100	112	172	161	215
Market share in imports						
China PR	%	99.57%	99.67%	99.85%	99.84%	99.84%
Other countries	%	0.43%	0.33%	0.15%	0.16%	0.16%
Total imports share	%	100%	100%	100%	100%	100%
Demand in India						
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1	22	1	1
Sales of other Indian producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	98	55	74
Imports from China PR	MT	3,146	3,525	5,436	5,085	6,780
Imports from Other countries	MT	14	12	8	8	11

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	155	141	188
Market share in demand						
Sales of domestic industry	%	***	***	***	***	***
Range	%	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Sales of other Indian producers	%	***	***	***	***	***
Range	%	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
China PR	%	***	***	***	***	***
Range	%	80-90	90-100	90-100	90-100	90-100
Other countries	%	***	***	***	***	***
Range	%	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Total demand share	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

66. The Authority notes that:

i. Total demand for the subject goods has increased during the injury investigation period.

ii. Imports from China PR have increased during the injury investigation period in absolute terms as well as in relation to demand in India.

iii. Imports from other countries are insignificant during the injury investigation period.

b. Import volume and share of imports from China PR

67. The effects of the volume of dumped imports from China PR has been examined by the Authority in the following table:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Imports from China PR	MT	3,146	3,525	5,436	5,085	6,780
Trend	Indexed	100	112	173	162	215
Imports from Other Countries	MT	14	12	8	8	11
Trend	Indexed	100	86	59	59	79
Total Imports	MT	3,160	3,536	5,444	5,093	6,791
Trend	Indexed	100	112	172	161	215

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Market share in imports						
China PR	%	99.57%	99.67%	99.85%	99.84%	99.84%
Other countries	%	0.43%	0.33%	0.15%	0.16%	0.16%
Total imports share	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Imports in relation to						
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	111	114	114
Production of Domestic Industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	424	91	98	98

68. It is seen that:

i. Imports from China PR have increased during the injury investigation period in absolute terms.

ii. Imports from China PR have increased in relation to total consumption in India.

H.3.2. Price effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

69. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a. Price Undercutting

70. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from China PR and the average selling price of the domestic industry:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Landed value from China PR	Rs/KG	161	162	144	153
Trend	Indexed	100	101	89	95
Net Selling Price	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	75	123
Price Undercutting	Rs/KG	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Range	%	40-50	40-50	20-30	80-90

71. The Authority notes that price undercutting is significant throughout the injury investigation period and has increased in the POI.

b. Price Suppression/depression

72. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority considered the changes in the prices and landed value over the injury period.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Cost of Sales (ex-factory)	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	75	102
Selling Price	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	75	123
Landed Price of Imports from China PR	Rs./KG	161	162	144	153
Trend	Indexed	100	101	89	95

73. It can be seen that both the cost of sales and selling price of the domestic industry have increased during the injury investigation period. The landed price of imports from China PR is below the cost of sales of domestic industry.

Impact on economic parameters of the domestic industry

74. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, Production, Sales & Capacity Utilization

75. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	75	100
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	26	190	186	248

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	26	190	248	248
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1	22	1	1

76. It can be seen that:

i. Capacity of the domestic industry has remained constant during the injury investigation period.

ii. Production and capacity utilization of the domestic industry have increased throughout the injury investigation period. Production and capacity utilisation of domestic industry is the highest during the POI.

iii. Domestic sales have declined throughout the injury investigation period.

b. Export performance

77. The performance of the domestic industry with regard to export sales is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Total Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	26	240	239	319
Total sales	INR Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	32	287	298	397
Total sales	INR/KG	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	120	125	125
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1	22	1	1
Domestic sales	INR Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1	17	1	1
Domestic sales	INR/KG	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	75	123	123
Export sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	794	846	1,128
Export sales	INR Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	972	1,051	1,402
Export sales	INR/KG	***	***	***	***	***

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Trend	Indexed	100	127	122	124	124
Export sales quantity in relation to						
Total sales	%	***	***	***	***	***
	Range	25-35%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%
Domestic sales	%	***	***	***	***	***
	Range	35-45%	4035-4045%	1405-1415%	38555-38565%	38555-38565%

78. The Authority notes that:

i. Majority of sales by the domestic industry during the injury investigation period are in the export market.

ii. Share of export sales in total sales has increased significantly during the injury investigation period.

iii. The export price of the domestic industry is higher than the domestic selling price during the injury investigation period.

c. Profitability

79. Profits earned by the domestic industry from sale of the subject goods in the domestic market are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Cost of sales (ex-factory)	Rs/KG	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	75	102	102
Selling price	Rs/KG	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	75	123	123
Profit/(Loss) per unit	Rs/KG	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(300)	(100)	920	920
Profit/(Loss) – total domestic sales	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(3)	(22)	8	11

80. It can be seen that domestic industry was incurring losses till 2019-20 on domestic sales of the PUC. However, they have started earning profits during the period of investigation.

d. Cash Profits

81. Performance of the domestic industry has been examined in respect of cash profits:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Cash Profit on domestic sales	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	0	2	1	2
Cash Profit on domestic sales	Rs/KG	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	51	15	137	137

82. It can be seen that domestic industry has been earning cash profits during the entire injury investigation period.

e. Return on Investment

83. The Return on Capital Employed of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Total Profit before interest and tax – Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	0	1	3	4
ROCE	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	0.253	(0.88)	1,263	4.28

84. It can be seen that domestic industry has earned positive return on capital employed during the injury investigation period.

f. Inventories

85. Inventory with the domestic industry has been examined as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Average inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	186	181	46	61

86. It can be seen that average inventory of the domestic industry has declined in the period of investigation.

g. Productivity

87. The number of employees as well as the productivity per employee is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Excluding Apr 2020 – June 2020)	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
Employees	No.	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	163	170	170
Production/ day	MT/Day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	26	190	248	248

88. It can be seen that number of employees have increased and productivity has improved in 2019-20 and period of investigation.

h. Growth

89. Information related to growth parameters of the domestic industry during the injury period is given below:

SN	Particulars	2018-19	2019-20	POI (A) (Excluding Apr 2020 – June 2020)
1	Production	(74)%	620%	31%
2	Domestic Sales	(99)%	2476%	(95)%
3	Profit/(Loss) - Rs/KG (PBT)	(202)%	(67)%	(1042)%
4	Cash Profit - Rs/KG	(100)%	665%	65%
5	ROI %	(100)%	248%	437%

90. It can be seen that domestic industry has experienced positive growth in production, profit and ROI but has experienced negative growth in domestic sales.

i. Ability to Raise Fresh Investment

91. The applicant has submitted that the profitability of the domestic industry has been adversely impacted by the dumped imports and therefore their ability to raise fresh investment is limited.

j. Magnitude of Injury Margin

92. The Authority has determined PCN wise NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The Authority notes that Avid Organics Private Limited has manufactured and sold food grade glycine during the POI. The non-injurious price determined by the Authority based on the cost of production of Avid Organics Pvt. Ltd. is for food grade Glycine. Majority of imports coming into India from China PR are of technical grade/industrial grade Glycine. Accordingly, the Authority has made appropriate adjustments to the non-injurious price of food grade Glycine for ensuring apple to apple to comparison.

93. For determining the NIP, the best utilization of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilization of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

94. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

INJURY MARGIN TABLE

Producer/Exporter	NIP (INR/KG)	Landed Value (INR/KG)	IM (INR/KG)	IM (USD/KG)	IM %	Range
Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd	***	***	***	***	***	30-40
Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	***	45-55
All Others	***	***	***	***	***	80-90

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

95. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The Authority has examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

96. The listed known factors have not caused injury, as is seen from the following:

a. Volume and Price of Imports from Third Country

97. The Authority notes that imports from other countries are insignificant.

b. Contraction in Demand

98. The demand for subject goods has increased throughout the injury investigation period.

c. Change in Pattern of Consumption

99. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d. Trade restrictive practices

100. The imports of subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country.

e. Development of Technology

101. Technology for production of the product concerned has not undergone any change.

f. Export performance

102. The Authority has considered data for the domestic performance only in its injury analysis. The Authority notes that export performance of the domestic industry has significantly improved during the injury investigation period.

J. CONCLUSION ON INJURY AND CAUSAL LINK

103. The Authority notes that the volume of imports from China PR has significantly increased in absolute terms during the injury investigation period. The volume of imports in relation to demand in the country has also increased during the injury investigation period. The landed price of imports from China PR is undercutting the selling price of domestic industry. Average landed price of imports is below the cost of sales of domestic industry. The price pressure exerted by the subject imports has affected the domestic performance of the domestic industry indicating material injury. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

104. The Authority notes that the domestic industry has not suffered injury on account of other known factors listed above. The Authority, thus, concludes that the domestic industry has suffered material injury on account of the dumped imports of subject goods from the subject country.

K. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY INTERESTED PARTIES

K.1. Post disclosure statement submissions by the other interested parties

105. Following are the post disclosure statement submissions made by the other interested parties:

i. Authority has rightly excluded Paras Intermediates Private Limited from the scope of the domestic industry.

ii. Since Paras Intermediates has been considered as ineligible domestic producer of the subject goods, the current investigation is a fit case for its termination. The claim of the domestic industry that its related entity imported minor quantities of subject goods to avoid permanently losing its customers was incorrect and amounted to misrepresentation of information that affects the root of the anti-dumping investigation.

iii. Initiation of the investigation was entirely based on the prima facie evidence before the Authority regarding injury to the domestic industry considering combined data of Paras Intermediates Private Limited and Avid Organics Pvt. Ltd. If the correct facts regarding status of Paras Intermediates Private Limited was known at the time of initiation, no anti-dumping investigation would have been initiated.

iv. The Authority is requested to confirm that constructed normal value and non-injurious price is based on the information regarding cost of production submitted by Avid Organics Private Limited alone.

v. Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. has exported primarily technical grade PCN to India. If Avid Organics Pvt. Ltd. is engaged in the production and sales of only pharma grade and food grade PCNs, then normal value and NIP determined by the Authority for pharma grade and food grade requires to be adjusted appropriately. A simplistic comparison of normal value/NIP comprising of pharma grade and food grade and export price/landed value of subject goods exported by the Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. primarily comprising of technical grade will not result in a fair comparison.

vi. The domestic industry is not at all concerned about the demand in the Indian market. Rather, the domestic industry is completely focused on exporting the subject goods.

vii. It appears that the domestic industry does not have any surplus capacity to meet the demand in the domestic market after supplying to its customers in the export market

viii. Export sales to United States, Canada etc. will be more lucrative to the domestic industry even if there is no import competition in the domestic market because export sales price to US and Canada is higher than the domestic selling price. Export price to United States, Canada etc. may also be higher than non-injurious price.

ix. Net selling price of the domestic industry during the POI is higher than the non-injurious price. This shows that domestic industry is already selling the subject goods at reasonable selling price and there is no price suppression or depression due to imports from China PR.

x. It is known that during the lockdown period of April 2020 to June 2020, all non-essential economic activities in India were adversely impacted. Adverse impact to the domestic industry during this period cannot be attributed to dumped imports.

xi. It is requested that the normal value for the Chinese producers may please be determined on the basis of their records.

xii. Reference price-based duty is the appropriate form of anti-dumping duty in the present investigation and anti-dumping duty should be recommended for 3 years or less because (i) Glycine is used in wide variety of applications including in pharmaceutical products and food products (ii) domestic industry is not dependent on domestic market (iii) after fulfilling the demand in the export market, the domestic industry does not have sufficient capacity to supply in the domestic market & (iv) there is no material injury to the domestic industry.

xiii. In the past, the Authority has recommended imposition of anti-dumping duty for less than 5 years period in several investigations.

xiv. The determination of normal value for China PR on the basis of Para 7 without accepting the details of the Chinese companies in the current investigation will eventually make provisions of the Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol to nullity. It is, therefore, submitted with utmost respect that this was never the intention of the drafters of the aforesaid provisions and it is requested that the same are to be harmoniously interpreted to give these provisions their full effect.

xv. None of the injury parameters indicates injury to the domestic industry in the current investigation. The capacity, production, capacity utilization, sales, market share, selling price, profitability, cash profit, ROCE, inventories etc. have shown improvement.

xvi. Comparison of food grade and/or pharma grade with technical grade is showing an artificially inflated price undercutting and is unreliable.

xvii. It is submitted that in the current investigation, the thrust and focus of the domestic industry is on the export market as their exports have increased to 1100% in the POI and almost all the domestic production of the subject goods is exported by the domestic industry. They are selling just 1% in the domestic market.

xviii. The domestic industry is already realising higher selling price than the NIP. It clearly indicates that there is no injury to the domestic industry.

K.2. Post disclosure statement submissions made by the domestic industry

106. Following are the post disclosure statement submissions made by the domestic industry:

i. Distinction of PCN into various grades where purity is the same is not required for the present investigation. The monograph for Glycine USP, Glycine IP and Codex Standard for Food/Feed grade Glycine is a non-binding standard for USP, IP and Food/Feed grade, and reflect the exact same purity standards. 'IP' or 'USP' which is "pharma grade' and the 'food/feed' grade are the same purity.

ii. There is no recognised binding or mandatory standard or specification demarcating the allegedly various "grades" into categories such as pharma, feed, food or technical/industrial grade. There is no significant or substantial difference in cost between 'technical' grade and other grades of Glycine.

iii. M/s. Pasco Traders, affiliate of Paras Intermediates Private Limited was forced to import minor quantities of Glycine to avoid permanently losing customers and such prices are not injurious prices but forced imports and accordingly not be considered to impact the eligibility of M/s. Paras Intermediates as 'domestic industry'.

iv. It is absolutely clear from the volume of imports examined by the Designated Authority that the imports made by the related importer were negligible in comparison to demand in India as well as

total imports from the subject country. Hence, though the imports made by Pasco Traders is in the range of 25-30% of production of Paras Intermediates Private Limited and much higher than domestic sales of Paras Intermediates Private Limited, it is evident that the focus of the said producer M/s. Paras Intermediates has not shifted to importing and it is requested that the same should be considered as part of the domestic industry.

v. Capacities created by the producers in China PR are more than their domestic demand and the producers are in fact saddled with excess capacity. Chinese glycine industry has overcapacity and this situation will not change much in the coming few years.

vi. India is an extremely price sensitive market with a growing demand and is an attractive and important export destination for the exporters to export their products. The rate of increase of demand aligns with the increase in imports from China PR into India.

vii. The dumped prices of the imports have restricted the domestic industry from making profitable sales or even attaining reasonable returns on the domestic sales and are causing volume substitution in the domestic users which are price sensitive.

viii. The significant price undercutting has led to significant severe decline in domestic sales and market share of the domestic industry in India.

ix. The significant increased imports at low and dumped prices have led to price depression and suppression effect on the domestic industry, which has not been able to increase its selling prices commensurate with the increase in costs and has caused significant erosion in domestic sales and profits of the domestic industry.

K.3. Examination by the Authority

107. The Authority has examined the post disclosure statement submissions of the domestic industry and the other interested parties. The Authority notes that most of the submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure statement submissions by the domestic industry and other interested parties have been examined by the Authority to the extent considered relevant.

108. With regard to the claim that imports made by Pasco Traders are insignificant in terms of total demand and total imports into India, the Authority notes that Authority is also required to examine the significance of quantum of imports in relation to its own production to determine the essential characteristic and nature of the applicant's business activity so as to determine its eligibility as a domestic industry. In the present case, imports made by Pasco Traders is in the range of 25-30% of production of Paras Intermediates Private Limited and much higher than domestic sales of Paras Intermediates Private Limited and so the Authority has not considered Paras Intermediates Private Limited as eligible domestic producer in terms of Rule 2(b) of the Rules.

109. With regard to the claim that Glycine producers in China PR have overcapacity, the Authority notes that examination of surplus capacity is specifically relevant in sunset review investigation for assessment of likelihood of injury. The Authority has examined in the detail the existence of material injury to the domestic industry in these final findings in the relevant section.

110. With regard to the claim that anti-dumping duty investigation should be terminated as a result of exclusion of Paras Intermediates Pvt. Ltd., the Authority notes that despite exclusion of Paras Intermediates Pvt. Ltd., Avid Organics Pvt. Ltd. is the eligible domestic industry and the Authority has determined that it has the requisite standing as a domestic industry.

111. With regard to the claim that constructed normal value and non-injurious price should be based on the information regarding cost of production submitted by Avid Organics Private Limited, the Authority notes that it has relied only on the information of the domestic industry Avid Organics Private Limited for determination of constructed normal value and non-injurious price.

112. With regard to the claim that normal value and non-injurious price determined for food grade Glycine based on information of Avid Organics Pvt. Ltd. should be adjusted appropriately for comparison with export price and landed value of technical grade Glycine, the Authority notes that appropriate adjustments have been made for proper comparison.

113. With regard to the claim that the domestic industry is focused on the export market and has been increasing its exports at higher prices, the Authority notes that it has examined injury to the domestic industry based on its sales in the domestic market and increase in exports of the domestic industry cannot justify existence of dumped and injurious imports of the subject goods from China PR.

114. With regard to the submission that adverse impact of the lockdown period cannot be attributed to dumped imports, the Authority notes that the period of April 2020 to June 2020 has already been excluded from the POI for injury analysis. Therefore, adverse impact caused due to other known factors has not been attributed to dumped imports from China PR.

115. With regard to the submission that the anti-dumping duty should be recommended based on reference price form of duty, the Authority notes that it has considered it appropriate to recommended reference price based anti-dumping in the present case.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND PUBLIC INTEREST

116. The Authority notes that the purpose behind the imposition of anti-dumping duty or any other duty as a consequence of trade remedial investigations, is to establish a level playing field for the domestic industry which has been suffering injury as a consequence of unfair imports making way into the territory of India. The Anti-dumping Rules, 1995 ensure that amount of duty levied is restricted to what is necessary to redress the injury to the domestic industry. The application of lesser duty rule makes it certain that the domestic industry does not receive any undue advantage.

117. The Authority considered whether imposition of anti-dumping duty shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large.

118. It is noted that after initiation of investigation, views from all interested parties were invited including importers, users and consumers. The Authority also issued questionnaire for the users/user association to provide relevant information with regard to present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. It is noticed that none of the users / user association have made any submissions or provided evidence that can be considered as relevant.

119. The Authority has also noted that the examination of public interest on account of anti-dumping duty measures is commonly studied from the perspective of the domestic industry, the importers, users and consumers.

i. It is noted that the imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods would be in the interest of domestic producers of the subject goods in India. The measures would prevent further injury to the domestic industry and give time to them to compete against the exporters from the subject country.

ii. The Authority has also analysed the effect of imposition of anti-dumping duty from the consumer's point of view and observed that it would be in the interest of domestic consumers of subject goods to have reliable Indian domestic producers capable of competing with foreign producers. This is possible when the domestic producers are able to recover from the injury suffered due to the imports. If the current situation is allowed to continue, the Indian domestic producers would face further injury giving foreign producers increased leverage as against domestic producers.

M. CONCLUSION

120. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in the present findings, the Authority concludes that:

i. Avid Organics Pvt. Ltd. is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

ii. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country.

iii. Considering the normal value and export price for the subject goods, there is positive and significant dumping margin for the subject goods from the subject country.

iv. Total imports of the subject goods from China PR have increased during the injury investigation period except for a small decline during the POI.

v. Imports of the subject goods from China PR into India have increased in relation to consumption in India.

vi. The import prices are undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of imports from China PR during the POI is below the cost of sales of the domestic industry.

vii. Domestic performance of the domestic industry has been impacted due to dumped imports of subject goods from China PR.

viii. Imports from China PR occupy majority of the market share in Indian demand whereas domestic industry occupies insignificant share in the total domestic demand.

ix. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports from China PR.

x. There are no other factors which could have caused injury to the domestic industry.

xi. It would also be in the interest of domestic consumers of the subject goods to have reliable Indian domestic producers capable of competing with foreign producers. This is possible when the domestic producers are able to recover from the injury suffered due to the imports.

N. RECOMMENDATIONS

121. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, Embassy of the subject country, exporters, importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and the consequent injury.

122. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17 (1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of antidumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods described in Column 3 of the duty table originating in or exported from the subject country equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

DUTY TABLE

S. No	Heading/ Sub-Heading	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29224910 & 29224990	Glycine	China PR	Any country including China PR	Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd.	0.74	KG	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Guangan Chengxin Chemical Co., Ltd.	0.94	KG	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than those mentioned at S. Nos. 1 & 2	1.39	KG	USD
4.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	1.39	KG	USD

123. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act,1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time-to-time.

O. FURTHER PROCEDURE

124. An appeal against the order of the Central Government arising out of these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA